




यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उपक्रम)
Uranium Corporation of India Limited
(A Government of India Enterprise)

कम्पनी ISO 9001 : 2008, 14001 : 2004 एवं IS 18001 : 2007
An ISO 9001 : 2008, 14001 : 2004 & IS 18001 : 2007 Company



४३वां वार्षिक प्रतिवेदन - २००९-२०१०
43rd Annual Report - 2009-2010



Tummalapalle Project

यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड



यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

रजिस्टर्ड ऑफिस : जादुगोडा माइन्स, जिला - सिंहभूम (पूर्व)

झारखंड - 832102

दूरभाष : 0657-2730122 / 222 / 353

फैक्स : 0657-2730322

ई-मेल : uranium@ucil.gov.in

वेबसाईट : www.ucil.gov.in

अनुक्रमणिका

	पृष्ठ संख्या
1. निदेशक मण्डल	3
2. कार्यकारी अधिकारीगण	4
3. अध्यक्ष की कलम से	5
4. सूचना	7
5. निदेशकों का प्रतिवेदन	8
6. निदेशकों के प्रतिवेदन का परिशिष्ट-I	16
7. निदेशकों के प्रतिवेदन का परिशिष्ट-II	18
8. लेखा विश्लेषण	
(i) विशिष्टताएँ	20
(ii) कम्पनी की वित्तीय स्थिति	21
(iii) कम्पनी की आय एवं व्यय का विवरण	22
9. बार तथा पाई चार्ट	
(i) आय का वर्गीकरण	24
(ii) व्यय का वितरण	24
(iii) आय में वृद्धि	25
(iv) निवल मालियत में वृद्धि	25
(v) नियोजित पूँजी	26
(vi) सकल तथा शुद्ध ब्लॉक	26
10. लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	27
11. निगम के लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत की टिप्पणी	31
12. 31 मार्च, 2010 की स्थिति का तुलन-पत्र	32
13. वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए लाभ तथा हानि का लेखा	33
14. लेखे की 1 से 15 तक की अनुसूचियाँ	34
15. 31.03.2010 को समाप्त वर्ष का कैश फ्लो विवरण	58
16. तुलन-पत्र का सार एवं कम्पनी के सामान्य व्यापार की रूपरेखा	59
17. पच्चीस वर्षीय स्थिति का सार संग्रह	60



निदेशक मण्डल

श्री आर. गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री डी. आचार्या
निदेशक (तकनीकी)

श्री आर. पी. गुप्ता
निदेशक (वित्त)

सुश्री रेवती अय्यर
(22.07.2010 तक)

डॉ. सी. बी. एस. वेंकटरमणा
(23.07.2010 से)

श्री वी. आर. सदाशिवम

श्री एम. एल. मजुमदार
(12.08.2010 तक)

प्रो० एस. पी. मेहरोत्रा
(12.08.2010 तक)

श्री आर. एन. जयराज

डा० अंजन चाकी

डा० ए. के. सिंह
(01.06.2010 से)

श्री पी. वी. दुबे
कम्पनी सचिव

लेखा परीक्षक

मेसर्स एस. गांगुली एण्ड एसोसिएट

सनदी लेखापाल
"तासी हाउस", प्रथम तल 74/2ए
गोल्फ क्लब रोड, कोलकाता – 700 033

कार्यकारी अधिकारीगण

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	श्री रमेन्द्र गुप्ता
निदेशक (तकनीकी)	श्री डी. आचार्या
निदेशक (वित्त)	श्री आर. पी. गुप्ता
कार्यकारी निदेशक (परियोजना-पूर्वी)	श्री पिनाकी राय
कार्यकारी निदेशक (परियोजना-दक्षिण)	श्री एन. एम. बहल
महाप्रबंधक (कार्मिक)	श्री के. महाली
महाप्रबंधक (खान)	श्री एस. सी. भौमिक
महाप्रबंधक (टीएस)	श्री एस. सिद्धिकी
महाप्रबंधक (मिल)	श्री एस. के. श्रीवास्तव
महाप्रबंधक (यांत्रिकी)	श्री निरंजन मिश्रा
महाप्रबंधक (आई.एस.ओ.)	श्री जी. एस. घोष हाजरा
उप महाप्रबंधक (विद्युत)	श्री राजन प्रसाद
उप महाप्रबंधक (यांत्रिकी)	श्री पी. के. धर
उप महाप्रबंधक (यांत्रिकी)	श्री ए. मधुसुदन राव
उप महाप्रबंधक (विद्युत)	श्री यू. सी. मल्लिक
उप महाप्रबंधक (क्रय एवं भण्डार)	श्री ए. के. सिन्हा
उप महाप्रबंधक (खान)	श्री अजय घड़े
उप महाप्रबंधक (खान)	श्री पी. एन. सरकार
उप महाप्रबंधक (यांत्रिकी)	श्री एस. के. गुहानियोगी
उप महाप्रबंधक (कार्यनीति परियोजना)	श्री ए. के. सारंगी
उप महाप्रबंधक (लेखा)	श्री टी. के. बाग
उप महाप्रबंधक (सिविल)	श्री बी. सन्याल
उप महाप्रबंधक (सिविल)	श्री एस. एन. प्रसाद
उप महाप्रबंधक (मिल)	श्री आर. जी. मुखोपध्याय
उप महाप्रबंधक (भू-विज्ञान)	श्री पी. पी. शर्मा
उप महाप्रबंधक (आई.ई.) / (कार्मिक) आई.आर.एस.	श्री सी. एच. शर्मा
कम्पनी सचिव	श्री पी. वी. दुबे

अध्यक्ष की कलम से



प्रिय सदस्यगण,

कम्पनी की 43वीं वार्षिक साधारण बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। वर्ष 2009-10 के लिए कम्पनी का अंकेक्षित लेखा विवरण तथा निदेशकों का प्रतिवेदन आप सभी सदस्यों को दिया जा चुका है तथा आपकी अनुमति से मैं इसे पढ़ लिया गया मानता हूँ।

मुझे अपार संतुष्टि है कि वर्ष 2009-10 में कम्पनी का निष्पादन बेहतरीन रहा। जादुगोड़ा और भाटिन दोनों माइन्स उत्पादन में लगातार योगदान दे रहे हैं। नरवापहाड़ माइन्स की उत्पादन 1000 टीपीडी से 1500 टीपीडी किया जा रहा है। तुरामडीह माइन्स ने भी अपनी क्षमता के उपयोगिता में रिकार्ड सुधार किया है। बंडुहुरांग ओपनपिट माइन्स जनवरी 2009 में आरंभ हुआ और इसमें लगातार निष्पादन में सुधार हो रहा है। बागजाता अंडरग्राउण्ड माइन्स दिसम्बर 2008 में आरंभ हुआ और अपनी क्षमता का 93.55 प्रतिशत उपयोग किया।

मुझे आप को सुचित करते हुए प्रसन्नता है कि जादुगोड़ा मिल की क्षमता को बढ़ाने का कार्य जनवरी 2010 में पूरा हो गया। वर्ष के दौरान जादुगोड़ा प्लांट का क्षमता का उपयोग 100 प्रतिशत से अधिक था।

नये तुरामडीह प्लांट के निष्पादन में लगातार सुधार हो रहा है, इसकी क्षमता 3000 टीपीडी है। बंडुहुरांग माइन्स से Initial feed of weathered ore की वजह से तुरामडीह मील में Process stabilization में देर हुई है। फिर भी प्लांट का निष्पादन धीरे-धीरे सुधार रहा है और इसे 4500 टीपीडी के लिए विस्तार किया जाना है।

परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ MOU 2009-10 के लिए हस्ताक्षर होने से आपके कम्पनी को "बहुत अच्छा रेटिंग" मिलने की उम्मीद है। आपकी कम्पनी पुनः पुष्टि करती है अपनी सुदृढ़ गुणवत्ता कार्यों, पर्यावरण उत्तरदायित्व और सुरक्षा जागरूकता को एवं 2009-10 में तीनों प्रमाणीकरणों - ISO 9001:2008, 14001:2004 और 18001:2007 में खरी उत्तरी है।

प्रिय सदस्यगण, मुझे सूचित करते हुए खुशी है कि आपकी कम्पनी का विस्तार लगातार हो रहा है। बागजाता अंडरग्राउंड माइन्स, बंडुहुरांग

ओपनपिट माइन्स और तुरामडीह प्लांट जो 2008-09 में आरंभ हुए थे जिनका stabilisation 2009-10 और जादुगोड़ा प्लांट की प्रोसेसिंग क्षमता 2090 टीपीडी से 2500 टीपीडी जनवरी 2010 में हो गयी है। उपर्युक्त सभी के सम्मिलित प्रभाव को 2010-11 में U308 के उत्पादन में परिलक्षित होने की उम्मीद है। माहुलडीह और तुमलापल्ली अंडरग्राउण्ड माइन्स और प्लांट का निर्माण अच्छी प्रगति पर है। आपकी कम्पनी ने तुमलापल्ली परियोजना का विस्तार 3000 टीपीडी से 4500 टीपीडी करने के लिए कार्य आरंभ कर दिया है। इस दिशा में कार्य पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (MOEF) एवं अन्य रेगुलेटरी क्लियरेंस एवं भारत सरकार की स्वीकृति के बाद किया जाएगा। Exploratory Mining एवं Flowsheet के निर्णय के सफल होने के बाद गोपी परियोजना के विकास के लिए परियोजना पूर्व गतिविधियों को भी कम्पनी शुरू करेगी। अगर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (MOEF) की अनुमति एवं भारत सरकार की स्वीकृति मिल जाती है तो कार्य के अंतिम तिमाही (Quarter) में शुरू होने की उम्मीद है।

लाम्बापुर माइन्स के लिए अपने पक्ष में राष्ट्रीय पर्यावरण नियामक प्राधिकरण (NEAA) से निर्णय मिलने के बाद आपकी कम्पनी लाम्बापुर परियोजना की लागत का पुनः अनुमान लगाया है। इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग से स्वीकृति मिली हुई है। कार्य चरण-1 (भूमि अधिग्रहण एवं अन्य) शुरूआती चरण पर है। आपकी कम्पनी के. पी. एम. परियोजना के लिए भारत सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा में है। फिर भी कल्याणकारी गतिविधियाँ परियोजना की ओर जारी हैं, जनसाधारण की ख्याति एवं जन-साधारण की स्वीकृति यूरैनियम माइन्स क्षेत्र में उपलब्ध करा रही है।

आपकी कम्पनी विकास के लिए अन्य देशों में यूरैनियम संसाधन के अधिग्रहण के लिए हिस्सा लेने के लिए प्रयासशील है। आपकी कम्पनी निक्यूलियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ मंगोलिया, रूस, साउथ अफ्रीका, नामीबिया एवं कजाकिस्तान में संसाधनों के विकास की संभावना पर खोज जोर शोर से जारी है। आपकी कम्पनी निक्यूलियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ नयी संयुक्त प्रक्रम बनाकर विदेशों में उपलब्ध यूरैनियम संपदा एवं ईंधन से संबंधित सेवाओं के अधिग्रहण के लिए इक्विटी भागीदारी के कदम भी उठाये हैं।

आस पड़ोस का विकास आपकी कम्पनी की पहचान है। कम्पनी के प्रत्येक इकाई में Corporate Social Responsibility (CSR) प्राथमिकता पर है। कम्पनी द्वारा CSR के अंतर्गत इन्फ्रस्ट्रक्चर विकास कार्य, स्थानीय बेराजगार लोगों को व्यावहारिक प्रशिक्षण, मुफ्त मेडिकल सेवाएँ, सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के जन-समूह के बच्चों को मुफ्त शिक्षा जैसे कार्यक्रमों को यूसिल की झारखण्ड एवं ओडिशा प्रदेश की इकाई के आस-पास रहने वाले समुदायों से बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है। मेघालय में प्रस्तावित के. पी. एम. प्रोजेक्ट स्थल के आस-पास रहने वाले समुदाय भी आपकी कम्पनी द्वारा वहाँ चलाई जा रही CSR गतिविधियों का लाभ ले रहे हैं।

आपकी कम्पनी की प्रतिबद्धता, पूर्ण विकास के लिए इस बात से समझा जा सकता है कि कम्पनी ने सफलतापूर्वक नरवापहाड़ में ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र (Rural Medical Centre) संचालित किया है जो मुफ्त मेडिकल सुविधाएँ बी.पी.एल. (Below Poverty Line) कार्ड धारकों को दे रही है एवं तुरामडीह औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थानीय युवकों को रोजगार पाने की योग्यता देती है।

आपके कम्पनी की चल रही योजनाओं का सफल क्रियान्वयन मानव संसाधन के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। कर्मचारी कार्य के साथ अपनी योग्यता को बढ़ाने के प्रशिक्षण पर जाते हैं। वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी 36 अधिकारी एवं प्रबंध प्रशिक्षु भर्ती किया है और उन्हें विशेष प्रशिक्षण एन.एम.एल. जमशेदपुर, आई.आई.टी. खड़गपुर, आई.एस.एम. धनबाद, एक्स.एल.आर.आई. जमशेदपुर आदि से faculty invite कर के किया है। वर्ष के दौरान एक अति सुंदर Lecture Hall "भाभा ऑडिटोरियम" नरवापहाड़ परिसर में बनाया गया है जो बड़े सम्मेलन/संगोष्ठी के लिये उपयोग किया जाएगा।

प्रिय सदस्यगण, आने वाले दिन हमारे लिये अपना उत्तम योगदान देने के अवसरों से परिपूर्ण होंगे जो कम्पनी के विकास को जारी रखेंगे। मैं सामूहिक प्रयास के रूप में आपके सुझाव, मार्गदर्शन और सहयोग की अपेक्षा करता हूँ जिससे कि हम बहुत अच्छा कर सकें।

इस अवसर पर मैं परमाणु ऊर्जा विभाग एवं उसकी विभिन्न इकाइयों को उनके द्वारा दिये हर संभव सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मैं इस अवसर पर कम्पनी के सभी कर्मचारियों के योगदान और बोर्ड के अपने सहयोगियों का सभी अवसरों पर उनके द्वारा किये गये गंभीर प्रयासों एवं उनकी समर्पित प्रतिबद्धता के लिए आभारी हूँ। मैं विशेष तौर पर कम्पनी बोर्ड से सेवा निवृत्त हो रहे सदस्यों का कार्यकाल के दौरान उनके सहयोग, विशिष्ट सुझावों एवं अथक प्रयासों के लिए धन्यवाद देता हूँ।

अब मैं कम्पनी का 31 मार्च, 2010 का तुलन पत्र तथा 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुये वर्ष का लाभ-हानि लेखा आपके विचारार्थ, अनुमोदन तथा अंगीकरण के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

धन्यवाद,

आर. गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हैदराबाद
24 सितम्बर, 2010

सूचना

एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादुगोड़ा की 43वीं वार्षिक आम बैठक यू.सी.आई.एल. कार्यालय में प्लॉट नं. 37, रोड नं. 3 सन राइज होम्स, अपरपली, पो.ओ. हैदरगुडा, आर. आर. डिस्ट्रीक्ट, हैदराबाद – 500 048 को दिनांक 24 सितम्बर, 2010, दिन शुक्रवार दोपहर 1.00 बजे आयोजित होगा जिसमें निम्नलिखित व्यापार किये जाएंगे।

साधारण व्यापार

1. कम्पनी का 31 मार्च 2010 का तुलन पत्र तथा इसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष का अंकेक्षित लाभ-हानि लेखा के साथ निदेशकों का प्रतिवेदन एवं लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन को विचारार्थ, अनुमोदन तथा अंगीकरण के लिए।
2. वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए लाभांश की घोषणा।

निदेशक मंडल के आदेश से

संख्या : यूसील/सी. एस.-2 (43)/2009-2010
31 अगस्त, 2010

पी. वी. दुबे
कम्पनी सचिव

सेवा में

सभी सदस्यगण

1. श्री आर. गुप्ता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूसील, जादुगोड़ा
 2. सुश्री रेवती अय्यर संयुक्त सचिव (आई एण्ड एम) पऊवि, मुंबई – 400 001
 3. श्री वी. आर. सदाशिवम, संयुक्त सचिव (वित्त) पऊवि, मुंबई – 400 001
 4. श्रीमति लतिका गोयल, उप सचिव (आई. एण्ड एम.) पऊवि, मुंबई – 400 001
– राष्ट्रपति के प्रतिनिधि
- रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा

प्रति : मेसर्स डी. के. छज्जर एवं कम्पनी
सनदी लेखाकार
5, ओल्ड कोट हाउस स्ट्रीट
कोलकाता – 700 001

प्रति : मेसर्स एस. गांगुली एण्ड एसोसिएट
सनदी लेखाकार
तासी हाउस, प्रथम तल
74/2 ए, गोल्फ क्लब रोड
कोलकाता – 700 033

टिप्पणी : 1. एक सदस्य जो बैठक में उपस्थित एवं मतदान का अधिकार रखता है वह अपने मतदान के बदले में प्राक्सी (प्रतिनिधि) नियुक्त कर सकता है एवं प्राक्सी (प्रतिनिधि) को कम्पनी का सदस्य होना जरूरी नहीं है। (प्राक्सी फार्म दो प्रति में संलग्न)

निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में,
अंशधारीगण,

सज्जनों,

यह मेरे लिये सौभाग्य की बात है कि मैं निदेशक मण्डल की ओर से आपकी कम्पनी का 31 मार्च, 2010 में समाप्त हुए वर्ष का 43वां वार्षिक विवरण, परीक्षित लेखाओं तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ।

1.0 परिचालन विशिष्टताएँ :

1.1 वित्तीय निष्पादन :

	लाख रूपयों में	
	चालू वर्ष 2009-2010	विगत वर्ष 2008-2009
आय	54,305.55	41,462.48
मूल्यहास एवं पूर्व अवधि का समायोजन के पूर्व लाभ	14,674.52	8,867.53
घटाया : (क) मूल्यहास	6,660.61	2,754.55
(ख) पूर्व अवधि का समायोजन	229.13	108.58
कर के पूर्व लाभ	77,784.78	6,004.40
घटाया : (क) कर का प्रावधान	2,220.00	681.00
(ख) पूर्व के वर्षों के लिए	6.89	(13.60)
(ग) आस्थगित कर का प्रावधान	932.05	3,507.19
(घ) अनुषंगी लाभकर	—	28.83
कर के पश्चात् लाभ	4,625.84	1,800.98
जोड़ा : विगत वर्ष से लाया गया	9,940.21	9,159.11
विनियोग के लिए उपलब्ध राशि	14,566.05	10,960.09
विनियोग		
साधारण रिजर्व	1,160.00	470.00
प्रस्तावित लाभांश	1,160.00	470.00
लाभांश पर कर	192.66	79.88
अधिशेष तुलनपत्र में लाया	12,053.39	9,940.21

आपकी कम्पनी ने वर्ष 2009-10 के दौरान राजकोष में आयकर, केन्द्रीय बिक्रीकर, अनुषंगी लाभकर, मूल्य योजित कर, उत्पादशुल्क, सीमाशुल्क (आयात) एवं स्वामित्व शुल्क के रूप में 3659.83 लाख रूपये का योगदान दिया।

1.2 परिचालन निष्पादन :

- **जादुगोड़ा खान**

1968 से कार्यरत 905 मीटर गहराई वाली जादुगोड़ा माइन्स संसार की दूसरी सबसे गहरी खान है। सिंकिंग स्ट्रॉक लेंथ और ऊपर की सतहों में खत्म होते भण्डारों एवं गहराई में खनन करने में होने वाली दिक्कतों के बावजूद यह खान में लगातार उत्पादन हो रहा है।

- **भाटिन खान**

जादुगोड़ा माइन्स के बगल में स्थित यूरेनियम की सीमित भंडार वाली भाटिन माइन्स 1987 से संचालनरत है। वर्तमान में खनन कार्य पूर्वी भाग में किया जा रहा है और खान लगातार उत्पादन कर रही है।

- **नरवापहाड़ खान**




1995 से प्रचालनरत नरवापहाड़ माइन्स में 355 मीटर की ऊर्ध्वाघर सॉफ्ट एवं 7 डिग्री डेक्लाइन द्वारा अयस्क तक पहुँचा जाता है। इसमें पटरी विहीन उपकरणों एवं डिक्लाइन प्रवेश तकनीकी को अपनाया गया है। इसकी उत्पादन क्षमता को 1500 टन प्रतिदिन तक बढ़ाया जा रहा है।

- **तुरामडीह खान**

तुरामडीह माइन्स को वर्ष 2003 में चालू किया गया और इसके 2 उत्पादन स्तर हैं। गहराई वाला स्तर विकासाधीन है। सतह से माइन्स में 8 डिग्री डिक्लाइन द्वारा पहुँचा जा सकता है। गहरे स्तरों में


जाने के लिए उत्त्वाधर सॉफ्ट लगाया जा रहा है।



इसकी उत्पादन क्षमता को 1000 टन प्रतिदिन तक बढ़ाया जा रहा है।

- **बांडुहुरांग ओपेन कास्ट खान**

भारत की पहली ओपेन कास्ट यूरेनियम खदान बांडुहुरांग में जनवरी 2009 में चालू हुई। भंडार में निम्न ग्रेड मिनरलाइजेशन होने के कारण इष्टतम उत्पादन की ओर लगातार ध्यान दिया जाता है।



इसकी उत्पादन क्षमता को 3500 टन प्रतिदिन किया गया है।


- **बागजाता भूमिगत खान**

70 प्रतिशत उत्पादन क्षमता के साथ 8 डिग्री

निदेशकों का प्रतिवेदन

डिक्लाइन द्वारा खनिज तक पहुँच सकने वाली बागजाता माइन्स को 2008 में शुरू किया गया था, गहरी सतहें विकासाधीन हैं। गहरी सतहों तक जाने के लिए एक ऊर्ध्वाधर सॉफ्ट लगाई जा रही है।


- **जादुगोड़ा मिल**



जादुगोड़ा, भाटिन, नरवापहाड़ और बागजाता माइन्स से उत्पादित यूरेनियम खनिज का प्रसंस्करण जादुगोड़ा स्थित मिल में किया जाता है। यह मिल 1968 से प्रचालनरत है। इस मिल की क्षमता को 2090 टन प्रतिदिन से 2500 टन प्रतिदिन करने का कार्य जनवरी 2010 को पूरा किया गया। वर्ष 2009-10 के दौरान इस मिल की उपयोग क्षमता 100 प्रतिशत से अधिक रही।

- **तुरामडीह मिल**

महत्वकांक्षी विकास पथ पर कम्पनी की यात्रा में तुरामडीह मिल की स्थापना एक विशिष्ट मील का



पत्थर है। इस मिल में तुरामडीह और बाडुहुरांग माइन्स से उत्पादित 3000 टन प्रतिदिन खनिज को प्रसंस्कृत करने की क्षमता है। इस संयंत्र में एसिड लिचिंग रूट को अपनाया गया है और यह अनेक विकसित यंत्रों और आधुनिक नियंत्रण एवं मोनिटोरिंग सुविधाओं से लैस है। संयंत्र के मानकों को स्थापित किया जा चुका है और इसकी प्रसंस्करण क्षमता को 4500 टन प्रतिदिन तक बढ़ाने का कार्य प्रगति पर है।

- **उप-उत्पाद पृथक्करण संयंत्र**



जादुगोड़ा संयंत्र परिसर में स्थित उपोत्पादन पृथक्करण संयंत्र मैग्नेटाइट का उत्पादन करता है जो कि कम्पनी की आर्थिक शक्ति में योगदान देते हैं।

1.3 नई परियोजनाएँ तथा विस्तार की योजना

- **माहुलडीह भूमिगत खान**



सराईकेला खरसंवा जिला के मोहुलडीह में स्थित यूरेनियम भंडार के खनन के लिए एक भूमिगत खदान का विकास किया जा रहा है जिसमें डिकलाइन से प्रवेश होगा। यह भंडार बाडुहुरांग के पश्चिम में करीब 2.5 किलोमीटर पर स्थित है। इसका अयस्क का प्रशंस्करण तुरामडीह मिल में किया जाएगा। यह भूमिगत खदान 2012 में शुरू होने की संभावना है।

- **तुमलापल्ली यूरेनियम परियोजना**
आंध्रप्रदेश के वाई.एस.आर. जिला (पूर्व नाम कडप्पा) में तुमलापल्ली में स्थित कारबोनेट होस्टेड रॉक में यूरेनियम भंडार के खनन के लिए भूमिगत खान का निर्माण के लिए 3000 टन प्रतिदिन क्षमता वाली खान का निर्माण संतोषजनक रूप से प्रगति पर है। इसमें ओर बॉडी में पहुँचने के लिए तीन डिकलाइन निर्माणाधीन है जिसमें मध्य डिकलाइन ओर निकालने के लिए आवश्यक कॉनवेयर से सज्जित है और दूसरी 2 डिकलाइन का इस्तेमाल मैन एण्ड मटेरियल मूवमेन्ट के लिए होगा। इसमें अयस्क को कॉनवेयर के द्वारा उपर लाया जाएगा एवं अलकली लिचिंग (दबावधीन) पद्धति का प्रयोग किया जाएगा। इस परियोजना का वर्ष 2011 के दौरान चालू होने की आशा है। इस परियोजना में 1500 टन प्रतिदिन अतिरिक्त खनन एवं प्रसंस्करण को जोड़ने के लिए स्वीकृति ली जा रही है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास पर्यावरण स्वीकृति के लिए प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है।



- **लाम्बापुर – पेडागुडू परियोजना**
लाम्बापुर यूरेनियम परियोजना को दो भागों में बनाने

की स्वीकृति मिली है। पहले चरण (भूमि अधिग्रहण और अन्य) की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है और आपकी कम्पनी ने इस दिशा में कार्य की शुरुआत भी कर दी है।

- **केलेंग पेन्डेन्साहिंग माउथाबा परियोजना, मेघालय**
माउथाबा मेघालय में स्थित केलेंग पेन्डेन्साहिंग माउथाबा परियोजना को दो भागों में कार्यान्वित किया जाएगा। पहला चरण (परियोजना पूर्व के कार्य) और दूसरा चरण (खनन एवं पेषण कार्य) के लिए भारत सरकार की स्वीकृति का इंतजार है। आपकी कम्पनी द्वारा कार्य क्षेत्र में जन कल्याण का कार्य किया जा रहा है और इसका क्षेत्रीय लोगों में सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।



- **गोगी परियोजना, कर्नाटक**
कर्नाटक के यादगिरी (पूर्व के गुलबर्गा) जिले में स्थित गोगी में अन्वेषी खनन का कार्य समयबद्ध ढंग से प्रगति पर है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आपकी कम्पनी ने कदम उठाए हैं। वर्ष 2010-11 में भारत सरकार द्वारा इस परियोजना को स्वीकृति मिलने की आशा है।
- **रोहिल यूरेनियम भंडार**
आपकी कम्पनी ने इस क्षेत्र में अन्वेषण खनन कार्य करने के लिए ए.एम.डी. के साथ समझौता ज्ञापन पर

निदेशकों का प्रतिवेदन

हस्ताक्षर किया है। खनन योजना को पूरा कर लिया गया है इस कार्य का आरम्भ परियोजना के लिए जल स्रोत सुनिश्चित होने के बाद ही किया जायेगा।

1.4 समझौता ज्ञापन निष्पादन

भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ हुए समझौता ज्ञापन के संदर्भ में वर्ष 2009-2010 में आपकी कम्पनी का निष्पादन कार्य "बहुत अच्छा" रेटिंग मिलने की आशा है।

2.0 लाभांश तथा रिजर्व में स्थानान्तरण :

आपके निदेशकगण को रू. 134792.78 लाख की प्रदत्त पूँजी पर अंशधारियों को 1160.00 लाख रूपया लाभांश देने की सिफारिश करते हुए प्रसन्नता हो रही है। यह लाभांश विगत वर्ष रू. 470.00 लाख था जो 99714.78 लाख की प्रदत्त पूँजी पर दिया गया था। इस वर्ष के लाभ से 1160.00 लाख रूपया को सामान्य आरक्षित राशि में स्थानान्तरित किया गया तथा वर्ष 2009-10 के लेखा में 192.66 लाख रूपये लाभांश पर कर के लिये प्रावधान किया गया है।

3.0 अंश पूँजी :

वर्ष के दौरान कम्पनी की अधिकृत अंशपूँजी 1500.00 करोड़ रूपये थी तथा 31.3.2010 को निर्गमित अंशपूँजी 1253.43 करोड़ रूपये है।

4.0 ऊर्जा संरक्षण/प्रौद्योगिकी का समावेश, अनुकूलन, इनोवेशन, विदेशी मुद्रा का अर्जन एवं उपयोग

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217(1)(ई) (निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन में दिखाए गये विवरण) व कम्पनी नियम 1988 के अनुसार पठित ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी का समावेश तथा विदेशी मुद्रा के उपयोग एवं अर्जन संबंधी विवरण इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक-1 में दिखलाया गया है।

5.0 औद्योगिक सम्बंध

वेतन पुनरीक्षण के मुद्दे पर की गई 23 दिन के हड़ताल के अतिरिक्त कम्पनी की सभी इकाइयों में औद्योगिक संबंध संतोषजनक रहा। वेतन एवं अन्य मुद्दों पर समझौते के बाद हड़ताल समाप्त हो गई।

6.0 जनशक्ति

31.03.2010 को आपकी कम्पनी में कर्मचारियों की कुल संख्या 4539 थी। वर्ष के दौरान 138 व्यक्तियों

की नियुक्ति की गई। कम्पनी में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 430 तथा 1745 है दोनों वर्गों का प्रतिनिधित्व कम्पनी की कुल जनशक्ति का 47.92 प्रतिशत है। 31.03.2010 को कम्पनी में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या 41 तथा शारीरिक रूप से विकलांग कर्मियों की संख्या 16 थी। सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शनों के आधार पर आरक्षित कोटा भरने के लिए कम्पनी द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है।

7.0 प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी

आपकी कम्पनी में सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध कर्मचारियों की प्रबन्धन में भागीदारी की नीति का परिणाम है। इसके अन्तर्गत शाप परिषद की बैठक नियमित रूप से हुई। प्रतिवेदन वर्ष के दौरान शाप परिषद की 24 बैठकें आयोजित की गईं। कर्मचारियों को भविष्य निधि के न्यास बोर्ड, ग्रैयूटि निधि न्यास, मृत्यु लाभ योजना, कर्मचारी पारिवारिक सहायता योजना, कल्याण निधि योजना तथा को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी आदि योजनाओं में प्रतिनिधित्व दिया गया। वे सुरक्षा समिति, कैंटीन प्रबंधन समिति तथा स्पोर्ट्स परिषद इत्यादि के भी सदस्य हैं। कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान हेतु अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में संयुक्त परिषद की बैठकें होती हैं।

8.0 कर्मचारियों का विवरण

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के साथ पठित यथा संशोधित (कर्मचारियों का विवरण) नियम, 1975 के अनुसार श्री आर.गुप्ता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को वर्ष के दौरान कुल पारिश्रमिक रू. 29.85 लाख दिया गया।

9.0 मानव संसाधन का विकास एवं प्रशिक्षण

आपकी कम्पनी मानती है कि मानव संसाधन का विकास कम्पनी के विकास के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। इस वर्ष 2009-10 के दौरान 140 अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों को प्रबंधन प्रशिक्षण केन्द्र, नरवापहाड़ में प्रशिक्षण दिया गया। 20 कर्मचारियों को भारत सरकार की श्रमिक शिक्षण योजना के तहत प्रशिक्षण दिया गया। 1371 कर्मचारियों को एम.एम. आर. के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 48 कर्मचारियों को प्रशिक्षु अधिनियम के तहत प्रशिक्षण दिया गया। 111 कर्मचारियों को विभिन्न संस्थानों में समारोह, कार्यशालाओं में भाग लेने तथा

प्रशिक्षण के लिए भेजा गया जिससे कि उनमें अधिक निपुणता तथा व्यावसायिक जानकारी में वृद्धि हो। 02 अधिकारियों को अन्तरराष्ट्रीय समारोहों तथा सम्मेलनों आदि में भाग लेने के लिए विदेशों में भेजा गया।

10.0 सुरक्षा

आपकी कंपनी अपने कार्मिक शक्ति एवं संयंत्रों की सुरक्षा को काफी महत्ता देती है। खदान एवं प्रोसेसिंग प्लांट में विशेष रूप से सुरक्षा के लिए जोर देती है ताकि दुर्घटना कम हो इसके लिए आधुनिक खदान टेक्नॉलॉजी एवं मशीनीकरण को कंपनी में लाया गया है। सुरक्षा का मानदंड को समय-समय पर आंतरिक सुरक्षा संस्था द्वारा समीक्षा अध्ययन एवं ऑकड़ों के साथ किया जाता है। वर्ष के दौरान "सुरक्षा सप्ताह" का आयोजन आपकी कंपनी की हर इकाई में कर्मचारियों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया था।

11.0 कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी तथा सामाजिक सुविधाएं

आपकी कंपनी कॉरपोरेट सामाजिक दायित्वों के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। कंपनी, अपनी कार्यरत इकाईयों के आस-पास के गाँवों के युवाओं को उनकी स्वास्थ्य, शिक्षा, सांस्कृतिक एवं खेलकूद गतिविधियों के लिये ढाँचागत व आर्थिक मदद प्रदान करती है। इस कार्य के लिये वरिष्ठ अधिकारियों एवं स्थानीय युवाओं के प्रतिनिधियों का संगठन बनाया गया है जिससे वार्षिक बजट दिया जाता है।

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी अपनी प्रशिक्षण की कार्यक्रम को जारी रखी है, स्थानीय बेरोजगार युवकों को विभिन्न स्वरोजगार उन्मुख प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम जन-शिक्षण संस्थान (मानव संसाधन



विकास मंत्रालय का एक संगठन) के साथ मिलकर चलाया जा रहा है।

आपकी कंपनी ने नरवापहाडु में ग्रामीण चिकित्सा केन्द्र की स्थापना की है जहाँ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कार्डधारी ग्रामीणों को निःशुल्क चिकित्सा प्रदान की जाती है, इसके अतिरिक्त कंपनी अपनी इकाईयों के आस-पास के गाँवों में समय-समय पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन करती है एवं ग्रामीणों में औषधियों का निःशुल्क वितरण भी किया जाता है।

कंपनी का तुरामडीह औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र से पहला प्रशिक्षित बैच जो स्थानीय लोगों को रोजगारोन्मुखी योग्यता देगा। आपकी कंपनी ने युवाओं को यूसिल की प्रचालनरत इकाईयों के आस-पास रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को जानने के लिए जेवियर्स सामाजिक विज्ञान संस्थान द्वारा सर्वेक्षण कराया गया था। इस सर्वेक्षण से कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व को दिशा मिली है।

आँध्रप्रदेश, तुमल्लापल्ली परियोजना के आस-पास के क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाओं को उच्च प्राथमिकता के आधार पर चलाया जा रहा है। आपकी कंपनी द्वारा सौर्यऊर्जा द्वारा चालित प्रकाश की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक वर्ष आस-पास के गाँवों से उच्च शिक्षा के लिए 10 मेधावी छात्रों को चयनित कर उन्हें मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। आस-पास के गाँवों में नियमित रूप से चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं जहाँ पर निःशुल्क औषधी भी प्रदान की जाती है।

मेघालय के के.पी.एम. परियोजना क्षेत्र के आस-पास आपकी कंपनी द्वारा लगातार कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जा रही हैं। जिनमें सड़क निर्माण, विद्यालय एवं प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र का संचालन आदि शामिल है।

एक 20 किलोमीटर सड़क जो वाखाजी एवं परियोजना क्षेत्र को जोड़ती है का निर्माण जिसमें कई पुलियां एवं तीन मुख्य पुल हैं, के साथ पुरा किया जा चुका है। इस कार्य से कंपनी अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता एवं जागरूकता को दर्शाया है एवं इससे वहाँ के स्थानीय लोगों में कंपनी की ख्याति, कार्य के आरंभ होने से पहले ही हो जाने की आशा है।

12.0 कॉरपोरेट अभिशासन

कॉरपोरेट अभिशासन से संबंधित एक रिपोर्ट अनुलग्नक-11 में दी गयी है।

निदेशकों का प्रतिवेदन



13.0 सार्वजनिक जमा

वर्तमान समीक्षा के वर्ष कम्पनी ने किसी भी व्यक्ति से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की।

14.0 पर्यावरण एवं वातावरण संरक्षण

आपकी कंपनी अपनी सभी इकाइयों के आस-पास पर्यावरण सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए सचेत है। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा जादुगोड़ा, नरवापहाड़ और तुरामडीह में प्रचालन संयंत्र के आसपास के क्षेत्रों में विकिरण स्तर की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। वाह्यगामा रेडिएसन, रेडॉन सान्द्रता, वायु में अल्फा कणों की उपस्थिति और भूमि एवं भूमि के नीचे उपस्थित जल, खाद्य पदार्थों एवं मिट्टी आदि में रेडियम व यूरेनियम जैसे रेडियो न्यूक्लाइड्स की सान्द्रता का आकलन नियमित रूप से किया जाता है।

आपकी कम्पनी ने अपनी इकाइयों व रिहायशी क्षेत्रों स्वस्थ पर्यावरण तथा प्रदूषण मुक्त वातावरण की स्थापना द्वारा वृक्षारोपण अभियान चलाया जाता है। आसपास के गाँव के लोगों को भी वृक्षारोपण के लिये उत्साहित करने के लिये निःशुल्क पौधे दिये जाते हैं।

15.0 आई. एस. ओ. प्रमाणीकरण

आपकी कंपनी को आई.एस.ओ. 9001:2008 (गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रमाण-पत्र, आई.एस.ओ. 14001:2004 (पर्यावरण प्रबंधन व्यवस्था) तथा आई.एस. 18001:2007 (व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रबंधन व्यवस्था के लिए प्रमाण-पत्र) प्रमाणीकरण

प्रदान किए गए हैं।

16.0 लघु उद्योग – धंधे

वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी ने अपने आसपास के क्षेत्रों में स्थित लघु उद्योगों को सहयोग प्रदान करने के लिये उनके उत्पादों का अधिकतम मात्रा में क्रय को जारी रखते हुए मदद की है। इस कार्य से क्षेत्रीय लोगों में कम्पनी के प्रति सौहार्द बढ़ा है इसके अतिरिक्त स्वरोजगार भी बढ़ा है।

17.0 विदेश भ्रमण

इस वर्ष विदेश यात्रा पर 16.46 लाख रुपया खर्च हुआ जबकि विगत वर्ष 12.49 लाख रुपया खर्च हुआ था।

18.0 विज्ञापन एवं प्रचार

विगत वर्ष के रू. 103.31 लाख की तुलना में इस वर्ष विज्ञापन एवं प्रचार कार्य पर 266.22 लाख रुपया खर्च हुआ। यह खर्च अधिकांशतः नियुक्तियों एवं निविदा संबंधी सूचनाओं के प्रसारण पर किया गया।

19.0 अतिथिगृह पर खर्च

इस मद पर कुल (मूल्यह्रास, मरम्मत एवं अनुरक्षण सहित) 54.28 लाख रुपया खर्च हुआ। पिछले वर्ष यह खर्च 51.23 लाख रुपये था।

20.0 राजभाषा नीति

वर्ष के दौरान कम्पनी ने राजभाषा अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत बने प्रावधानों एवं नियमों को कार्यान्वित करने की दिशा में प्रयास जारी रखा है। प्रगति की समीक्षा के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें समय-समय पर आयोजित की जाती हैं। कर्मचारियों को प्रतियोगिता के माध्यम से विभिन्न प्रकार के नकद पुरस्कार प्रदान किये गए। हिन्दी कार्यशाला समय-समय पर आयोजित की गई।

21.0 लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा मेसर्स गांगुली एण्ड एसोसिएट, द्वारा श्री एच. एन. झा, फ्लैट सं. 3, एन. रोड, श्रेष्ठा अपार्टमेंट, प्रथम तल, बिष्टुपुर, जमशेदपुर-831001 को लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

22.0 सतर्कता

निवारक सतर्कता पर संगठन के नियमों एवं विनियमों के अनुसार कड़ाई से पालन हो, इस पर जोर दिया

जाता है। सभी निविदा आमंत्रण सूचना को कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है तथा सामाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है। कम्पनी का सतर्कता विभाग मुख्य सतर्कता अधिकारी के आधीन कार्य करता है और वह अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों के 07 वरिष्ठ अधिकारी आकरिमक जाँच करने तथा भंडार एवं अन्य कार्यों को सत्यापित करने के लिए अधिकृत किये गये हैं। वर्ष के दौरान केन्द्रीय सतर्कता आयोग को समय-समय पर प्रतिवेदन/रिटर्न भेजे गये। कम्पनी में 03-07 नवम्बर 2009 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। केन्द्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त निर्देशों का संस्थान में कड़ाई से पालन होता है।

23.0 निदेशकगण (नियुक्ति/अवसान)

डॉ. ए. के. सिंह, मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार एवं डॉ. सी. बी. एस. वेंकटरमण, संयुक्त सचिव (आई एण्ड एम) परमाणु ऊर्जा विभाग मुंबई, क्रमशः 01.06.2010 एवं 23.07.2010 से कम्पनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किये गये हैं।

सुश्री रेवती अय्यर, संयुक्त सचिव (आई एण्ड एम), परमाणु ऊर्जा विभाग, श्री एम. एल. मजुमदार, अवकाश प्राप्त सचिव, भारत सरकार एवं प्रोफेसर एस. पी. मेहरोत्रा क्रमशः 22.07.2010, 12.08.2010 एवं 12.08.2010 से निदेशक पद पर नहीं हैं। निदेशकगण उनके अमूल्य योगदान के लिए प्रशंसा करते हैं।

24.0 भावी दृष्टिकोण

आपके निदेशकगण को सुचित करते हुए प्रसन्नता है कि आपकी कंपनी विकास मार्ग पर है, कई विस्तारीकरण योजनाएँ स्वरूप ले रही हैं जिससे कि यूरेनियम के उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति है। वर्ष 2008-09 के दौरान बागजाता अंडरग्राउण्ड माईंस, बांदुहरंग ओपनपिट माईंस एवं तुरामडीह प्लांट आरंभ हुआ तथा 2009-10 के दौरान जादुगोड़ा प्लांट का विस्तार महत्वपूर्ण कदम है, देश कि यूरेनियम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। माहूलडीह एवं तुमलापल्ली परियोजना का निर्माण कार्य संतोषजनक है। तुमलापल्ली परियोजना का विस्तार एवं माइनिंग तथा मिलिंग परियोजना, गोगी, लाम्बापुर एवं के.पी. एम. काफी योगदान आने वाले वर्ष में देंगे जिससे की देशी यूरेनियम की माँग एवं पूर्ति की शक्तियों को आसान किया जा सकेगा।

सिविल नाभिकीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से यूसिल विदेशों में योग्य अवसरों को पहचानने की कोशिश कर रही है। आपकी कंपनी संयुक्त प्रक्रम बनाकर विदेशों में उपलब्ध यूरेनियम संपदा एवं ईंधन से संबंधित सेवाओं के अधिग्रहण के लिए इक्विटी भागीदारी के लिए तैयार है।

उपर्युक्त सभी कार्यकलापों से आपके निदेशकगण को विश्वास है कि आपकी कम्पनी आदेश के अनुरूप देश की नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम को पूरा करने के लिए यूरेनियम की आवश्यकताओं को पूरा कर पायेगी।

25.0 निदेशकों का उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2एए) के प्रावधानों के अनुसार आपके निदेशकगण बताते हैं कि-

- वार्षिक प्रतिवेदन की तैयारी में लागू लेखा मानक को अपनाया गया है।
- आपके निदेशकों ने उन्हीं लेखा नीतियों को अपनाया है जो साधारणतया स्वीकृत लेखा उद्देश्यों के लिए मान्य है। इसे संगतरूप से अपनाया गया है तथा इसके साथ न्याय एवं मूल्यांकन किया गया है जो कि विवेकसंगत तथा न्यायपूर्ण है जिससे कि वित्तीय वर्ष के अंत में तथा उसी अवधि में लाभ हानि संबंधी सच्चा एवं स्पष्ट विचार प्रस्तुत किया जा सके।
- आपके निदेशकों ने कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी की सुरक्षा एवं बचाव तथा जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिए अभिलेख रखने में मुख्य रूप से पर्याप्त सावधानी रखी है।
- आपके निदेशकों ने "चालू संस्थान" के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया है।

22.0 आभार प्रदर्शन

आपके निदेशकगण परमाणु ऊर्जा विभाग, परमाणु खनिज गवेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, नाभिकीय ईंधन समिष्ट्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र तथा झारखण्ड सरकार, कम्पनी मामलों के विभाग, लोक उद्यम विभाग तथा अन्य मंत्रालयों नियंत्रक तथा भारत के महालेखा परीक्षक, कानूनी लेखा परीक्षकों, मुख्य वाणिज्यिक लेखा परीक्षा निदेशक एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा परिषद-II कोलकाता तथा बैंकों तथा अन्य संगठन जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कम्पनी से सम्बन्धित है से प्राप्त सुझाव एवं सहायता के लिए

निदेशकों के प्रतिवेदन का परिशिष्ट—।

कम्पनी नियम, 1988 के अन्तर्गत अपेक्षित (निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन में दिया गया) विवरण

ऊर्जा संरक्षण

(क) ऊर्जा संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं।

1. न्यूमेटिक मशीन के स्थान पर धीरे-धीरे ऊर्जा कुशल इलेक्ट्रीक मशीन लगाई जा रही है।
2. चेंज रूम में सौर ऊर्जा वाटर हीटर जगाए जा रहे हैं।
3. नये लगाए गए डिस्क फिल्टर में भी.भी.एफ. डी. का प्रावधान करके इस्टतम गति के लिए ड्राईव के करेंट को कम किया गया है।
4. आवासीय क्षेत्र में स्वचालित नियंत्रण वाली स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है।

(ख) ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए अतिरिक्त निवेश के साथ निम्न प्रस्तावों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

1. ट्रीपल डेक स्क्रीन (टी.डी.एस.) के स्थान पर डबल डेक स्क्रीन (डी.डी.एस.) लगाई गई है जिसके परिणाम स्वरूप जादुगोड़ा मिल की क्रसिंग प्लांट की क्षमता बढ़ गई है।
2. जादुगोड़ा मिल में लिचिंग टैंकों में क्रमशः एयर एजीटेशन के स्थान पर एजीटेटर का प्रावधान किया गया है।

(ग) (क) तथा (ख) उपायों को अपनाये जाने का प्रभाव

(क) तथा (ख) उपायों को अपनाये जाने के बाद सम्बंधित क्षेत्रों में ऊर्जा की खपत में कमी आयेगी।

विदेशी मुद्रा का अर्जन एवं उपयोग

आपकी कम्पनी निर्यात व्यापार में संलग्न नहीं है तथापि कलपूर्जों एवं पूँजीगत सामानों के क्रय पर इस वर्ष 753.14 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा का

इस्तेमाल किया गया।

प्रपत्र – बी

अनुसंधान एवं विकास तथा तकनीकी ग्रहण करने के सम्बंध में विवरण प्रपत्र।

अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी)

1. विशेष क्षेत्र जहाँ कम्पनी द्वारा अनुसंधान एवं विकास का कार्य किया गया।

- क) यूसिल की झारखण्ड स्थित विभिन्न खदानों से निकलने वाले खनिज के स्वरूप व संयंत्र में भेजे जाने वाले खनिज के अनुपात को ध्यान में रखकर संयंत्रों के प्रक्रिया मानकों का अनुकूलन किया गया है।
- ख) बी.ए.आर.सी. एवं ए.एम.डी. मिलकर गोगी यूरेनियम भंडार का अध्ययन उसकी फ्लोशीट और प्रोसेस मानकों को सुनिश्चित करने के लिए अध्ययन कर रहे हैं।
- ग) विभिन्न पी.एच. मानकों पर बुझे चुने के उपयोग द्वारा तुरामडीह प्लांट के यूरेनियम लीकर से लॉह और सल्फेट निकालने के लिए प्रयोग किए गए हैं।
- घ) तुरामडीह प्लांट की टेलिंग से मेगनेटाइट की पुनर्प्राप्ति के लिए अध्ययन।
- ङ) तुमलापल्ली मांडिस में जटिल भू-तकनीकी रॉक माश में सपोर्ट पैटर्न और स्टोपींग के मान दण्डों को सुनिश्चित करने के लिए अध्ययन।

2. उपर्युक्त आर एण्ड डी के कार्यों के फलस्वरूप हुए लाभ

- क) जादुगोड़ा और तुरामडीह प्लांट में लीचिंग विशेषताओं में सुधार।
- ख) गोगी यूरेनियम खनिज (लाइमस्टोन और ग्रेनाइट होस्ट रॉक) की प्रोसेस फ्लोशीट का विकास।



- ग) मेगनेशियम डार्क-यूरेनेट (एम.डी.यू.) के स्थान पर यूरेनियम पैराक्साइड का उत्पादन करने के लिए व्योरा को अंतिम रूप दिया गया।
- घ) तुरामडीह में मेगनेटाइट की पुर्नप्राप्ति संयंत्र स्थापन को स्थापित करने के लिए आवश्यक व्योरे को अंतिम रूप दिया गया।

3. भविष्य की रूप रेखा

- क) फ्लोशीट को अंतिम रूप देने के लिए अधिक प्रयोग/अध्ययन एवं गोगी के यूरेनियम अयस्क का श्रेष्ठतमीकरण करना।
- ख) प्रक्रियाओं को विकसित कर यूरेनियम विश्लेषण के लिए आई.सी.पी. - ए.ई.एस. को लागू करना।
- ग) महुलडीह खनिज के लीचिंग माणदण्ड के श्रेष्ठतमीकरण के लिए अध्ययन।
- घ) शुद्ध यूरेनियम पैराक्साइड के उत्पादन के लिए प्रक्रियाओं के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्य चालू रखना।

4. अनुसंधान एवं विकास पर खर्च

(क) पूँजी	रु. 5.19 लाख
(ख) राजस्व	रु. 104.33 लाख
कुल	रु. 109.52 लाख

5. प्रौद्योगिकी समावेश, अनुकूलन एवं नवीनीकरण

कम्पनी ने वैश्विक तकनीकी को आत्मशात किया है और उसे आवश्यकतानुसार लागू कर रही है। कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार है -

- (क) बांडुहुरांग खुली खदान में यूरो - 3 मानक वाले डम्परों का प्रयोग।
- (ख) कर्मचारी और खनिज को लाने के लिए अलग-अलग केज और स्किप के स्थान पर ऐसी केज/स्किप पद्धति को लगाने का प्रस्ताव है, जिसमें दोनों तरह से प्रयोग किया जा सके।
- (ग) गोगी भंडार में चुना पत्थर और ग्रेनाइट पत्थर से यूरेनियम की इष्टतम प्राप्ति के लिए अलकेली लीचिंग फ्लोसिट का विकास।
- (घ) तुमलापल्ली माइंस में बोर होल द्वारा लौंग डेवलपमेंट हेडिंग्स में वेंटिलेशन स्टैण्डर्ड में सुधार।

निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक परिशिष्ट – II

कॉरपोरेट अभिशासन

कम्पनी को विश्वास है कि उन्नत कॉरपोरेट अभिशासन पारदर्शिता एवं स्पष्टीकरण एवं सत्यनिष्ठा को बढ़ाता है। आपकी कम्पनी द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन के अपने समस्त कार्यों में निष्कपटता एवं पारदर्शिता के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है।

निदेशक मण्डल

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 617 के अन्तर्गत यूसिल एक सरकारी कम्पनी है। इसकी समस्त अभिदत्त पूँजी भारत के राष्ट्रपति के पास है तथा इसके 3 शेयर उनके द्वारा नामजद व्यक्तियों के पास है। निदेशक मंडल में कार्यपालकों तथा गैर कार्यपालकों का उचित समिश्रण है। 31.03.2010 को बोर्ड में 10 निदेशक हैं जिनमें (i) 3 पूर्ण कालीन कार्यरत निदेशक हैं यथा – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) तथा निदेशक (तकनीकी) तथा (ii) 7 अंश कालिक गैर कार्यपालक निदेशक हैं। बोर्ड की बैठक नियमित अन्तराल पर होती है तथा यह कम्पनी के उचित निर्देशन एवं प्रबंधन के प्रति उत्तरदायी है।

मार्च 2010 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में बोर्ड के निदेशकों की 4 बैठकें आयोजित की गईं जो इस प्रकार हैं – 26.06.2009, 21.09.2009, 29.12.2009 तथा 27.03.2010। निदेशकों की संख्या उनकी, बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति एवं वार्षिक साधारण सभा तथा असाधारण बैठकों में उनकी उपस्थिति इस प्रकार थी :-

31.03.2010 को नाम एवं पदनाम	श्रेणी	बोर्ड की बैठक		22.09.09 को हुई वार्षिक साधारण सभा में उपस्थिति	अन्य कम्पनियों में निदेशकता
		कार्यकाल अवधि में हुई	उपस्थिति		
कार्यकारी निदेशक					
श्री आर. गुप्ता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	पूर्णकालिक निदेशक	04	04	हाँ	—
श्री डी. आचार्या, निदेशक (तकनीकी)	पूर्णकालिक निदेशक	04	04	एन.ए.	—
श्री आर. पी. गुप्ता, निदेशक (वित्त)	पूर्णकालिक निदेशक	04	04	एन.ए.	—
गैर कार्यकारी निदेशक					
श्रीमती रेवती अय्यर, संयुक्त सचिव (आई एण्ड एम) डी.ए.इ. (22.07.2010 तक)	अंशकालिक पदेन	04	03	नहीं	02
श्री वी. आर. सदाशिवम संयुक्त सचिव (वित्त)	अंशकालिक पदेन	04	04	नहीं	04
श्री ए. के. बसु मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार (31.08.2009 तक)	अंशकालिक पदेन	04	03	एन.ए.	03
प्रो. एस. पी. मेहरोत्रा, निदेशक, एन.एम.एल.	अंशकालिक	04	03	एन.ए.	01
श्री एम. एल. मजुमदार सेवानिवृत्त भारत सरकार के सचिव	अंशकालिक	04	04	एन.ए.	03
श्री आर. एन. जयराज मुख्य कार्यकारी, एन.एफ.सी.	अंशकालिक	04	03	एन.ए.	01
डॉ० अंजन चाकी, निदेशक, ए.एम.डी.	अंशकालिक	04	04	एन.ए.	—

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा – 617 के अनुसार पूर्णकालिक के लिए कार्यरत निदेशकों का वेतन भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है क्योंकि यह भारत सरकार की कम्पनी है। अंशकालिक निदेशकों के लिए जो या तो सरकारी अधिकारी है अथवा सरकारी उपक्रम के अधिकारी होते हैं उन्हें बैठक में उपस्थित होने पर कोई शुल्क नहीं प्रदान किया जाता है।



लेखा परीक्षण समिति

31.03.2010 के अनुसार लेखा परीक्षण समिति का गठन किया गया –

- | | | | |
|----|---|---|---------|
| 1. | श्रीमती रेवती अय्यर
संयुक्त सचिव (आई एण्ड एम)
परमाणु ऊर्जा विभाग | : | अध्यक्ष |
| 2. | श्री वी. आर. सदाशिवम
संयुक्त सचिव (वित्त)
परमाणु ऊर्जा विभाग | : | सदस्य |
| 3. | श्री डी. आचार्या
निदेशक (तकनीकी)
यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | : | सदस्य |
| 4. | श्री आर. एन. जयराज
मुख्य कार्यकारी
एन. एफ. सी. | : | सदस्य |
| 5. | डॉ. अंजन चाकी
निदेशक, ए.एम.डी. | : | सदस्य |

वर्ष के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गईं जो 29.06.2009, 21.09.2009, 29.12.2009 तथा 27.03.2010 को आयोजित की गईं। समिति ने कम्पनी की वार्षिक प्रतिवेदन 2009-10 की समीक्षा की तथा इसके साथ ही आंतरिक लेखा परीक्षकों तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन की समीक्षा की।

साधारण बैठकें :

विगत 3 वर्ष के दौरान आयोजित वार्षिक साधारण बैठकों/असाधारण बैठकों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	दिनांक	समय	स्थान
2006-07 (एजीएम)	25.09.2007	13.00 बजे	डीएई, मुम्बई
2007-08 (एजीएम)	25.09.2008	13.00 बजे	डीएई गेस्ट हाऊस, नई दिल्ली
2008-09 (एजीएम)	22.09.2009	13.00 बजे	जादुगोड़ा

प्रमुख विशिष्टताएँ

अनुलग्नक-1

(लाख रुपयों में)

	विवरण	2009-10	2008-09	2008-09 की तुलना में वृद्धि/(कमी)
(क)	परिचालन परिणाम			
	टर्नओवर	52,159.09	37,429.95	14,729.14
	सकल आय	54,305.55	41,462.48	12,843.08
	सकल व्यय	46,291.64	35,349.49	10,942.15
	सकल लाभ	8,013.91	6,112.98	1,900.92
	कर पूर्व लाभ एवं पूर्व अवधि का समायोजन	7,784.78	6,004.40	1,780.37
	कर पश्चात् शुद्ध लाभ	4,625.84	1,800.98	2,824.86
(ख)	वर्ष के अन्त की वित्तीय स्थिति			
	शेयर पूँजी	134,792.78	107,764.78	27,028.00
	आरक्षित एवं अधिशेष	16,957.43	13,684.25	3,273.18
	नियोजित पूँजी	84,927.40	91,618.01	(6,690.62)
	निवल मालियत	151,750.21	121,449.03	30,301.18
	सकल निरुद्ध परिसंपत्ति	123,149.63	117,101.32	6,048.31
	मूल्य - ह्रास	40,842.06	33,914.00	6,928.07
	शुद्ध निरुद्ध परिसंपत्ति	82,307.57	83,187.32	(879.75)
	सम्पत्ति सूची	6,907.40	7,531.81	(624.42)
(ग)	लाभकारिता तथा अन्य अनुपात			
	i) प्रतिशतता :			
	बिक्री में सकल लाभ/(हानि)	15.36	16.33	
	बिक्री में शुद्ध लाभ/(हानि)	8.87	4.81	
	निवल मालियत में सकल लाभ/(हानि)	5.28	5.03	
	निवल मालियत में शुद्ध लाभ/(हानि)	3.05	1.48	
	नियोजित पूँजी में सकल लाभ/(हानि)	9.44	6.67	
	नियोजित पूँजी में शुद्ध लाभ/(हानि)	5.45	1.97	
	इकाई पूँजी में सकल लाभ/(हानि)	5.95	5.67	
	बिक्री में माल सूची	13.24	20.12	
	नियोजित पूँजी में बिक्री	61.42	40.85	
	ii) अनुपात :			
	चालू परिसम्पत्ति से चालू देयता	1.01 : 1	1.16 : 1	
	तत्काल परिसम्पत्ति से देयता	0.82 : 1	0.94 : 1	



कम्पनी की वित्तीय स्थिति

अनुलग्नक-II

31 मार्च, 2010 तथा 2009 का संक्षिप्त तुलन पत्र

(लाख रुपयों में)

	विवरण	2009-10	2008-09	2008-09 की तुलना में वृद्धि / (कमी)
1.	कम्पनी का स्वामित्व			
	(क) अचल परिसम्पत्ति			
	सकल ब्लाक	1,23,149.63	1,17,101.32	6,048.31
	घटाया : मूल्यहास	40,842.06	33,914.00	6,928.07
	शुद्ध ब्लॉक	82,307.57	83,187.32	(879.75)
	प्रगतिशील पूँजीगत कार्य/स्टॉक	74,611.47	36,687.63	37,923.84
	उप-योग (क)	1,56,919.04	1,19,874.95	37,044.09
	(ख) चालू परिसम्पत्तियाँ			
	i) व्यापाराधीन स्टॉक, भण्डार, प्रत्यक्ष सामग्री देनदारी, उपार्जित ब्याज	11,342.91	12,818.34	(1,475.42)
	ii) नकद या वस्तु के रूप में या वस्तु से प्राप्त मूल्य के रूप में वसूली योग्य अग्रिम	5,963.77	4,457.62	1,506.14
	iii) नगद तथा बैंक में जमा शेष राशि	25,377.65	26,456.81	(1,079.18)
	उप-योग (ख)	42,684.33	43,732.72	(1,048.44)
	योग - 1 (क + ख)	1,99,603.37	1,63,607.72	35,995.44
2.	कम्पनी का ऋण			
	(क) माल, सेवाओं, चालू देयताएँ तथा अन्य प्रावधानों के लिए	40,064.50	35,302.08	4,762.42
	(ख) कम्पनी की शुद्ध मालियत			
	अंश पूँजी	1,34,792.78	1,07,764.78	27,028.00
	आरक्षित निधि एवं अधिशेष	16,957.43	13,684.25	3,273.19
	उप-योग (ख)	1,51,750.21	1,21,449.03	30,301.19
	(ग) आस्थगित कर दायित्व (ग)	7,788.66	6,856.61	932.05
	योग 2 (2 + ख + ग)	1,99,603.37	1,63,607.72	35,995.65

कम्पनी की आय तथा व्यय का लेखा

अनुलग्नक-III

कम्पनी की आय तथा उसके व्यय का लेखा
31 मार्च, 2010 एवं 2009 का संक्षिप्त लाभ-हानि लेखा

(लाख रुपयों में)

	विवरण	2009-10	2008-09	2008-09 की तुलना में वृद्धि/(कमी)
1.	कम्पनी का आय			
	(क) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा यूरेनियम सांद्रों के अधिग्रहण से	51,844.78	37,044.88	14,799.90
	(ख) गौण उत्पादों की बिक्री (उत्पाद शुल्क को छोड़कर)	292.86	345.28	(52.42)
	(ग) अन्य प्राप्तियाँ	2,400.93	2,338.89	62.04
	उप-योग	54,538.57	39,729.06	14,809.51
	(घ) अन्तिम स्टॉक में वृद्धि/(ह्रास)	(233.02)	1,733.43	(1,966.44)
	योग (1)	54,305.55	41,462.48	12,843.07
2.	कम्पनी द्वारा भुगतान तथा व्यवस्था			
	(क) उत्पादन एवं प्रशासनिक खर्च	39,260.66	33,851.69	5,408.97
	(ख) अन्य खर्च	370.37	205.33	165.04
	(ग) मूल्यह्रास	6,660.61	2,754.55	3,906.06
	(घ) पूँजीगत लेखे में हस्तान्तरित व्यय (परीक्षणाधीन तुरामडीह मिल से संबंधित)	—	(1,462.08)	1,462.08
	योग (2)	46,291.64	35,349.49	10,942.15


कम्पनी की आय तथा व्यय का लेखा

अनुलग्नक-III क्रमशः

कम्पनी की आय तथा उसके व्यय का लेखा
31 मार्च, 2010 एवं 2009 का संक्षिप्त लाभ-हानि लेखा


		(लाख रुपयों में)		
	विवरण	2009-10	2008-09	2008-09 की तुलना में वृद्धि / (कमी)
3.	समायोजन पूर्व कम्पनी का सकल लाभ (1-2)	8,013.91	6,112.99	1,900.92
4.	जिसका समायोजन निम्नानुसार किया गया			
	पूर्वकालिक समायोजन	(229.13)	(108.58)	(120.55)
	कर पूर्व लाभ	7,784.78	6,004.41	1,780.37
	घटाया : आयकर का प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	3,158.95	4,203.42	(1,044.48)
	कर के बाद लाभ	4,625.84	1,800.98	2,824.89
	विगत वर्ष का लाया गया अधिशेष	9,940.21	9,159.11	781.10
	विनियोग के पूर्व अधिशेष (4 क)	14,566.05	10,960.09	3,605.96
	विनियोजन			
	प्रस्तावित सामान्य आरक्षित निधि	1,160.00	470.00	690.00
	प्रस्तावित लाभांश	1,160.00	470.00	690.00
	प्रस्तावित लाभांश पर कर	192.66	79.88	112.79
	उप-योग (4 ख)	2,512.66	1,019.88	1,492.79
	अधिशेष को तुलनपत्र में ले जाया गया (4 क - 4 ख)	12,053.99	9,940.21	2,113.18

आय का वर्गीकरण



- U3 O8 की क्षतिपूर्ति रु. 518.45 करोड़ (95.47%)
- गौण-उत्पादों की विक्री रु. 2.93 करोड़ (0.54%)
- व्याज रु. 20.92 करोड़ (3.85%)
- अन्य आय रु. 0.76 करोड़ (0.14%)


व्यय का वितरण




- कर्मचारियों का भुगतान 145.39 करोड़ (26.77%)
- मरम्मत एवं अनुरक्षण 79.60 करोड़ (14.66%)
- कच्चा माल, स्टॉक एवं स्पेयर्स 74.94 करोड़ (13.80%)
- ऊर्जा 47.53 करोड़ (8.75%)
- ह्रास 66.61 करोड़ (12.27%)
- अन्य व्यवसायिक देय 51.14 करोड़ (9.42%)
- कर उपपान्त लाम 32.73 करोड़ (6.03%)
- लामांसा 11.60 करोड़ (2.14%)
- कर 33.52 करोड़ (6.17%)




आय में वृद्धि




निवल मालियत (नेटवर्थ)



नियोजित पूंजी में वृद्धि



सकल तथा शुद्ध परिसंपत्ति





लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में,

यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यगण
जादुगोड़ा

1. हमने यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2010 का संलग्न तुलन-पत्र इसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ-हानि खाते तथा कैश फ्लो विवरण का अंकेक्षण किया। यह वित्तीय विवरण कम्पनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व इन विवरणों का अंकेक्षण के आधार पर अपना अभिमत प्रकट करना है।
2. हमने लेखा परीक्षण भारत में अपनाई गई स्वीकृत मानक लेखा परीक्षण पद्धति के अनुसार किया है। इसके अनुसार इस प्रकार लेखा परीक्षण करना चाहिए जिससे कि हम न्यायपूर्वक विश्वास दिला सकें कि वित्तीय विवरणों में वस्तुओं के गलत विवरण को शामिल नहीं किया गया है। लेखा परीक्षण को जाँच परीक्षा की तरह किया जाता है जिसमें राशियों का समर्थन करते साक्ष्य तथा अनुलग्नक में उल्लेख रहता है। लेखा परीक्षण में लेखा उद्देश्यों का निर्धारण तथा प्रबंधन द्वारा विश्वसनीय सिद्धांत एवं प्रस्तुत किये गये सभी वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन रहता है। हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा जो लेखा परीक्षण किया गया है वह हमारे विश्वासों का न्यायसंगत आधार प्रस्तुत करता है।
3. (क) परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार के आदेश के तहत (जैसा कि टिप्पणी-1 लेखा अनुसूची-15 में निर्देशित किया गया है) कम्पनी को निम्नलिखित विषय से संबंधित किसी प्रकार की सूचना को उद्घाटित करना निषिद्ध है।
 - क) लाइसेंस क्षमता
 - ख) संस्थापित क्षमता
 - ग) वास्तविक उत्पादन
 - घ) कच्चे माल का क्रय एवं उपार्जन
 - ङ) उत्पादित वस्तुओं के प्रारंभिक एवं अन्तिम स्टॉक

तथा कम्पनी में कच्चे मालों का टर्नओवर तथा उपयोग का मात्रात्मक सूचना। तदनुसार कम्पनी द्वारा उपयुक्त सूचनाएँ वित्तीय विवरण में नहीं दी गईं।

ख) तथापि इन सूचनाओं को सरकारी लेखा परीक्षकों को उपलब्ध कराया गया है जो परमाणु ऊर्जा विभाग के आदेश संख्या 10/8 (12)/2004- पीएसयू/448 दिनांक 09 जुलाई 2004 के तहत इस शर्त के साथ दी गई है कि उपर्युक्त ऑफड़े लेखा परीक्षण प्रतिवेदन में नहीं दी जाएगी।

4. भारत सरकार द्वारा जारी कम्पनी आदेश 2003 (लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन) एवं कम्पनी द्वारा यथा संशोधित (लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन) संशोधन आदेश 2004 के आदेशों सहित में की गई अपेक्षा के अनुसार जो कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के उप धारा (4ए) में बताये गये विषय के अनुसार है। हम उपर्युक्त आदेश के अनुच्छेद 4 एवं 5 में दिये गये विषयों पर विवरण संलग्न अनुलग्नक में कर रहे हैं।

5. ऊपर पैरा 4 में उल्लिखित संलग्न में दिये हमारे मंतव्य के आगे हम सूचित करते हैं कि -

क) जादुगोड़ा में भाटिन सहित 1312.62 एकड़ जमीन तथा माहुलडीह से 288.20 एकड़ जमीन का खनन पट्टा अभी प्राप्त किया जाना बाकी है। और 31.77 एकड़ जमीन तुरामडीह के लिए, 290.45 हेक्टेयर के.पी.एम. में और 1301.38 एकड़ लाम्बापुर में अतिरिक्त जमीन के लिए अधिकृत प्राधिकरण के साथ पत्राचार किया जा रहा है। (संदर्भ लेखा अनुसूची - 15 टिप्पणी 2 क)

ख) राज्य सरकार/निजी पार्टी से अधिग्रहित 1548.09 एकड़ भूमि जिसका मूल्य 1517.59 लाख है का डीड ऑफ कनवेयन्स लंबित है। (संदर्भ टिप्पणी 2 ख) अनुसूची 15।

ग) मुसाबनी में हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (आई.सी.सी.) की 3 एकड़ जमीन के उपयोग का एग्रीमेंट नहीं किया गया जिसके कारण उन्हें कोई भी राशि नहीं दी गई। इसलिए इस भूमि के उपयोग के लिए लेखे में कोई प्रावधान नहीं किया गया (संदर्भ अनुसूची - 15 टिप्पणी संख्या 2 ग)

घ) विभिन्न न्यायालयों में आकस्मिक देयताओं के पड़े विचाराधीन मामले के प्रावधान/निष्पत्ति का परिणाम उपलब्ध नहीं होने के कारण लेखा

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

- में आकस्मिक देयताओं का कोई प्रावधान नहीं दिखलाया गया है। (संदर्भ अनुसूची - 15 टिप्पणी संख्या - 6)
- ड) यद्यपि बाकी पुष्टि के लिए विभिन्न पार्टियों को देनदारी, लेनदारी तथा अग्रिम के अंतर्गत पत्र निर्गत किए जा चुके हैं परन्तु सिर्फ कुछ लोगों ने ही इसका जवाब दिया है। यहाँ तक की इनका पुनर्मिलान नहीं हो सका। (संदर्भ संख्या 7 अनुसूची - 15)
- च) कम्पनी भारत सरकार को बंद तुरामडीह प्रोजेक्ट की सम्पत्ति की उस सीमा तक के लिए 1110.60 लाख रुपये के शेयर जारी करेगी जैसा कि उनके द्वारा जून, 2003 में निर्देश दिया था। (संदर्भ टिप्पणी संख्या 9 बी अनुसूची - 15)
- छ) मूल्यहास प्रभार की विधि में परिवर्तन के कारण (अनुसूची-14 के धारा 5वीं का संदर्भ) कम्पनी ने चालू वर्ष एवं विगत वर्ष के लिए क्रमशः 35.10 लाख एवं 250.32 लाख रुपये का अतिरिक्त मूल्यहास मुहैया कराया है। (संदर्भ टिप्पणी संख्या 13 अनुसूची - 15)
- ज) बांदुहरांग खान का अधिभार निराकरण के संबंध में कार्य आदेश के शर्तों के अनुसार कम्पनी के ठेकेदारों पर सेवा कर के रूप में 626.22 लाख रुपये का दावा के बारे में न्यायाधिकरण का आदेश कम्पनी के खिलाफ होने पर कम्पनी की देयतायें बढ़ सकती है। इसके लिए खाते में न तो प्रावधान किया गया है और न इस राशि को आकस्मिक देयता के अधीन दर्शाया गया है। (अनुसूची 15 नोट 15 का संदर्भ)
- झ) कम्पनी द्वारा आरम्भ की गयी विभिन्न परियोजना में कुछ विलम्ब है।
6. ऊपर पैरा 4 एवं 5 में बताये गये हमारे मंतव्यों के अनुसार जिसे लेखा टिप्पणी के साथ पढ़ा गया (अनुसूची - 15) हम आगे सूचित करते हैं कि -
- क) हमें वे सारी सूचनाएँ एवं व्याख्याएँ उपलब्ध कराई गई है जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारे परीक्षण के लिए जरूरी थे।
- ख) हमारी राय में कम्पनी द्वारा कानून के अनुसार

उचित लेखा खाते रखे गये हैं जैसा कि हमें इन खातों की जाँच के दौरान देखने को मिला।

- ग) तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा तथा कैश फ्लो विवरण जिसका इस टिप्पणी में समावेश है लेखा-खाता के अनुसार है।
- घ) हमारी राय में कम्पनी की तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा तथा कैश फ्लो विवरण जिसका उल्लेख इस रिपोर्ट में किया गया है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 उपधारा (3 सी) में उल्लिखित एकाउन्टिंग स्टैंडर्ड का पालन करते है।
- ड) केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 829 (ई) दिनांक 21.10.2003 के अनुसार कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 274(1)(जी) एवं विवरण के प्रावधान सरकारी कम्पनीयों पर लागू नहीं होता है।
- (च) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचनाओं एवं विवरण के अनुसार उक्त लेखे उसके साथ दी गई व्याख्या संख्या 15 तथा लेखांकन नीतियों के अनुसार कम्पनी अधिनियम 1956 के द्वारा माँगी गई सूचनाओं को अपेक्षित रूप में उपलब्ध कराता है तथा भारत में स्वीकृत लेखा नीतियों के अनुसार एक सच्ची एवं स्पष्ट विचार प्रस्तुत करता है।

- 1) जहाँ तुलन पत्र का सम्बंध है, वह 31 मार्च, 2010 तक कम्पनी के मामलों से सम्बंधित है।
- 2) जहाँ तक लाभ-हानि लेखा के सम्बंध में है वह कम्पनी के लाभ इसी तारीख तक का है।
- 3) जहाँ तक कैश फ्लो विवरण के सम्बंध में है वह भी कम्पनी के इसी तारीख तक का है।

कृते एस. गांगुली एण्ड एसोसिएट
सनदी लेखा पाल
फर्म रजि. सं. 302192ई

डी. पी. साहा
साझेदार
सदस्यता संख्या 003935

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 30 जून, 2010

लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट का अनुलग्नक

(31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को कम्पनी के लेखा पर हमारे सम दिनांक प्रतिवेदन के परिच्छेद 4 के अन्तर्गत लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक)

- (1) (क) कम्पनी अचल परिसम्पत्तियों का विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप में चालू वर्ष में रख रही है। तथापि इसमें आगे और भी सुधार की आवश्यकता है। इसी प्रकार विगत रिकार्ड को भी अद्यतन करने की जरूरत है।
- (ख) कम्पनी की अपनी सभी अचल परिसम्पत्तियों की प्रत्यक्ष जाँच 3 वर्षों में एक बार कराने का कार्यक्रम है जो हमारी राय तथा कम्पनी का आकार एवं सम्पत्तियों की प्रकृति के अनुसार न्यायसंगत है। परिसम्पत्तियों की जाँच में कोई भिन्नता नहीं पाई गई। सभी सम्पत्तियों को विशेष नम्बर के द्वारा चिन्हित किया जाना चाहिए, विशेष रूप से वे सम्पत्तियाँ जो चल हैं और जहाँ सभी सम्पत्तियों का सत्यापन एक समय में नहीं किया जा रहा है।
- (ग) हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचनाओं एवं व्याख्या के अनुसार कम्पनी ने वर्ष दौरान अपने अचल परिसम्पत्तियों के किसी भी भाग को नहीं हटाया है। जिससे कम्पनी की "चालू संस्थान" की स्थिति प्रभावित नहीं होती है।
- (2) (क) जैसा कि हमें बताया गया सभी सम्पत्तियों की प्रत्यक्ष जाँच वर्ष के दौरान बाहरी पेशेवरों से उचित अन्तराल पर की गयी।
- (ख) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचनाओं एवं विवरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा अपनाई गई वस्तुओं की जाँच की विधि कम्पनी के व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुसार न्यायसंगत एवं पर्याप्त है। हालाँकि नये स्थान पर शुरू की गई परियोजना विशेष रूप से तुमलापल्ली में ज्यादा जाँच की जरूरत है।
- (ग) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचनाओं के अनुसार कम्पनी द्वारा अपनी सम्पत्तियों का अभिलेख उचित ढंग से रखा जा रहा है। प्रत्यक्ष जाँच के दौरान पाई गई भिन्नता को लेखा बही में उचित रूप में ठीक कर लिया गया है।
- (3) हमें दी गई व्याख्याओं एवं सूचनाओं के अनुसार कम्पनी ने जैसे किसी कम्पनी फर्म या तीसरी पार्टी को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं दिया है अथवा उनसे लिया है जिनका नाम कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में दर्ज है।
- (4) हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचनाओं एवं व्याख्याओं के अनुसार कम्पनी को भण्डार, संयंत्र एवं मशीनरी, उपकरण तथा अन्य सम्पत्तियों के क्रय तथा सामानों की बिक्री के संबंध में आन्तरिक नियंत्रण पद्धति पर्याप्त है जो इस कम्पनी के आकार एवं व्यापार की प्रकृति के अनुकूल हैं। अपने अंकेक्षण के दौरान हमने आन्तरिक नियंत्रण की व्यवस्था में कोई बड़ी कमजोरी नहीं देखी। हालाँकि वर्क कान्ट्रैक्ट के क्षेत्र में आंतरिक नियंत्रण को पुनः विचार की जरूरत है।
- (5) हमें दी गई सूचनाओं एवं व्याख्याओं के अनुसार, इस वर्ष में कोई लेनदेन नहीं हुआ जो अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में दर्ज किया जा सके।
- (6) कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों की उप धारा 58ए तथा 58एए के अन्तर्गत तथा आर.वी.आई. द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुसार कम्पनी ने सामान्य जन से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।
- (7) कम्पनी का अपना आन्तरिक लेखा परीक्षा विभाग है। कम्पनी का आन्तरिक लेखा परीक्षण इसके आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग तथा सनदी लेखाकार फर्म द्वारा किया जाता है। हमारी राय में कम्पनी के बढ़ते आकार एवं इसकी कार्य प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली को इसके उद्देश्य तथा इसके क्षेत्र में और मजबूत किये जाने की आवश्यकता है, विशेष रूप से नई परियोजनायें जो देश के विभिन्न हिस्सों में फैली हैं।
- (8) केन्द्रीय सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1) (डी) के अन्तर्गत कम्पनी को अपने

लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट का अनुलग्नक

उत्पादों का लागत अभिलेख रखने के लिए विनिहित किया है। हमने व्यापक रूप से उपर्युक्त अभिलेखों का परीक्षण किया तथा हम अपना मत व्यक्त करते हैं कि निर्धारित अभिलेख एवं लेखा सुव्यवस्थित रूप से रखे जाते हैं।

- (9) (क) हमें दी गई सूचनाओं एवं व्याख्याओं के अनुसार तथा हमारे द्वारा लेखा बहियों का परीक्षण करने के उपरांत यह पाया गया कि कम्पनी द्वारा कानूनी बकाया जिसमें भविष्य निधि, आयकर, बिक्रीकर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क सम्बंधित पदाधिकारी के पास जमा कराया जाता है। हमें बताया गया कि कर्मचारी राज्य बीमा इस कम्पनी में प्रयोज्य नहीं है।
- (ख) हमें दी गई सूचनाओं एवं व्याख्याओं के अनुसार बिक्री कर की वह बकाया राशि जो विवाद के कारण जमा नहीं की गयी वह इस प्रकार है।

कानून की प्रकृति	बकाया को प्रकृति	राशि (रु.)	वह मंच जहाँ विवाद विचाराधीन है	वर्ष
बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	37885716.00	निर्धारण प्राधिकारी	1994-95 से 2005-06

- (10) वित्तीय वर्ष के अन्त में कम्पनी में कोई जमा हानि नहीं है। चालू एवं तुरंत समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में नगद हानि नहीं हुई है।
- (11) चालू वर्ष में कम्पनी ने किसी वित्तीय संस्थान या बैंक को ऋण वापसी में कोई चूक नहीं की है और कम्पनी ने वर्ष के दौरान कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।
- (12) हमारे द्वारा किये गये रिकार्डों की जाँच एवं हमें दी गई सूचना एवं व्याख्याओं के अनुसार कम्पनी ने वर्ष के दौरान न तो कोई ऋण, और न पेशगी का अनुमोदन किया है चाहे वह शेयर की सुरक्षा के आधार पर हो अथवा डिबेंचर या प्रतिभूति के आधार पर।

- (13) कम्पनी चिटफंड, निधि / म्युचुअल बेनिफिट फंड / सोसाइटी नहीं है।
- (14) हमें दी गई सूचनाओं एवं व्याख्याओं के अनुसार कम्पनी शेयर, सेक्युरिटी, डिबेंचर तथा अन्य निवेशों का व्यापार नहीं करती।
- (15) हमें दी गई सूचनाओं एवं व्याख्याओं के अनुसार कम्पनी ने वर्ष के दौरान किसी दूसरे के द्वारा लिए गये ऋण पर कोई गारंटी नहीं दी है चाहे वह बैंक से ली गई हो या अन्य वित्तीय संस्थानों से।
- (16) हमें दी गई सूचनाओं एवं व्याख्याओं के अनुसार कम्पनी ने चालू वर्ष में कोई मियादी ऋण नहीं प्राप्त किया है।
- (17) हमें दी गई सूचनाओं एवं व्याख्याओं के अनुसार कम्पनी ने अल्प अवधि के लिए कोई निधि नहीं बनायी है जिसे लम्बी अवधि के लिए विनियोग किया गया हो।
- (18) हमें दी गई सूचनाओं एवं व्याख्याओं के अनुसार कम्पनी ने वर्तमान वर्ष किसी कम्पनी/पार्टी को शेयर का प्रिफरेंशियल अलाटमेन्ट नहीं किया है, जिनका नाम कम्पनी अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत रखी जाने वाली रजिस्टर में दर्ज होती है।
- (19) कम्पनी ने वर्ष के दौरान कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।
- (20) कम्पनी ने वर्ष के दौरान पब्लिक इश्यु के द्वारा कोई राशि एकत्र नहीं की है।
- (21) हमारी जानकारी में तथा हमारे विश्वास एवं हमें दी गई सूचनाओं एवं व्याख्याओं के अनुसार वर्तमान वर्ष में कम्पनी द्वारा/कम्पनी पर किसी प्रकार का धोखा न तो देखा गया या रिपोर्ट किया गया।

कृते एस. गांगुली एण्ड एसोसिएट
सनदी लेखा पाल
फर्म रजि. सं. 302192ई
डी. पी. साहा
साझेदार
सदस्यता संख्या 3935

स्थान – नई दिल्ली
दिनांक – 30 जून, 2010



कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादुगोड़ा के लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत बनाये गये वित्तीय रिपोर्टिंग संरचना के अनुसरण में 31 मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करना कम्पनी प्रबंधन का दायित्व है। कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के अन्तर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक कम्पनी अधिनियम 1956 के धारा 227 के अन्तर्गत वित्तीय विवरण के बारे में भारतीय सनदी लेखापाल संरक्षण के व्यख्यातिम संस्थान के निर्धारित मानक के तहत निष्पक्ष रूप से लेखा परीक्षा करने का हमारा दायित्व है यह उनके लेखा प्रतिवेदन दिनांक 30.06.2010 के द्वारा किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से मैंने 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का अनुपूरक लेखा परीक्षा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3) (ख) के अन्तर्गत किया है। अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के द्वारा वर्किंग कागजातों को देखे बिना एवं सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं कम्पनी के प्रतिवेदनों द्वारा प्रारम्भिक पूछताछ एवं कुछ चुने गये कागजातों एवं लेखा रिकार्डों के आधार पर किया गया है। कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) सांविधिक लेखा परीक्षकों के संबंध में किसी प्रकार की ऐसी विशेष बात मेरी जानकारी में नहीं आई है जिस पर कोई टिप्पणी की जा सकें।

कृते एवं ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
नियंत्रक
ह. / -

सौरव कुमार जयपुरियार
मुख्य निदेशक
मुख्य वाणिज्यिक लेखा परीक्षा निदेशक
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड- II
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 23.07.2010

31 मार्च, 2010 की स्थिति का तुलन-पत्र

	अनुसूची संख्या	31.03.2010 की स्थिति के अनुसार	31.03.2009 की स्थिति के अनुसार
		रुपये	रुपये
I. निधियों के स्रोत			
1. अंशधारियों की निधियाँ			
(क) पूँजी	1	1347,92,78,000	1077,64,78,000
(ख) आरक्षित एवं अधिशेष योग	2	169,57,42,558	136,84,24,509
		1517,50,20,558	1214,49,02,509
2. आस्थगित कर दायित्व योग		77,88,66,369	68,56,61,210
		1595,38,86,927	1283,05,63,719
II. निधियों का उपयोग			
1. स्थायी परिसम्पत्तियाँ			
(क) सकल निरुद्ध परिसम्पत्तियाँ	3	1231,49,63,138	1171,01,31,702
(ख) घटाया : मूल्यहास		408,42,06,321	339,13,99,691
(ग) शुद्ध ब्लाक		823,07,56,817	831,87,32,011
(घ) पूँजीगत प्रगतिधीन कार्य	4	746,11,47,380	366,87,62,937
		1569,19,04,197	1198,74,94,948
2. चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम			
(अ) चालू परिसम्पत्तियाँ	5		
(क) सम्पत्ति सूची		69,07,38,620	75,31,80,446
(ख) फुटकर देनदारियाँ		27,55,25,253	37,92,79,328
(ग) नगद एवं बैंक में जमा शेष		253,77,64,641	264,56,81,259
(घ) उपार्जित ब्याज		16,80,27,587	14,93,73,744
		367,20,56,101	392,75,14,777
(ब) ऋण एवं अग्रिम	6	59,63,76,835	44,57,62,446
घटाया : चालू देयतायें एवं प्रावधान	7	426,84,32,936	437,32,77,223
(क) चालू देयतायें		363,50,81,514	339,45,89,194
(ख) प्रावधान		37,13,68,692	13,56,19,258
		400,64,50,206	353,02,08,452
शुद्ध चालू परिसम्पत्तियाँ योग		26,19,82,730	84,30,68,771
		1595,38,86,927	1283,05,63,719
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ लेखे पर की टिप्पणियाँ	14		
उपरोक्त उल्लिखित अनुसूचियाँ लेखे का एक अभिन्न भाग हैं।	15		

यह हमारे संलग्नक सम दिनांक के अनुसार हस्ताक्षरित है

कृते एस. गांगुली एवं एसोसियेटेड
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. सं. 302192ई

कृते एवं बोर्ड के तरफ से

डी. पी. साहा
भागीदार
सदस्यता संख्या : 003935
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 जून 2010

पी. वी. दुबे
कम्पनी सचिव

आर. पी. गुप्ता
निदेशक (वित्त)

डी. आचार्या
निदेशक (तकनीकी)

आर. गुप्ता
अध्यक्ष एवं
प्रबंध निदेशक



31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का लेखा

अनुसूची संख्या	2009-2010	2008-2009
	रुपये	रुपये
आय		
परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा अनिवार्य रूप से अधिग्रहण किये गये यूरेनियम सान्द्रों की क्षतिपूर्ति	518,44,77,567	398,57,35,070
घटाया : पूंजीगत लेखा में स्थानान्तरित आय	—	28,12,47,363
उप-योग	518,44,77,567	370,44,87,707
गोण उत्पादों की विक्री	3,14,31,765	3,85,07,689
उप-योग	521,59,09,332	374,29,95,396
घटाया : गोण उत्पाद पर उत्पाद शुल्क	21,45,269	39,79,555
	521,37,64,063	373,90,15,841
व्याज	20,91,61,237	18,27,70,208
अन्य आय	3,09,31,357	5,11,18,862
	545,38,56,657	397,29,04,911
स्टॉक में (ह्रास) / वृद्धि	(2,33,01,888)	17,33,42,648
उप-योग	543,05,54,769	414,62,47,559
व्यय		
विनिर्माण एवं प्रशासनिक व्यय		
क) कर्मचारियों को पारिश्रमिक एवं लाभ	145,38,51,819	127,28,08,322
ख) बिजली एवं पानी	51,35,66,397	40,36,28,913
ग) उपभुक्त कच्चा माल	35,00,37,302	39,86,99,183
घ) भण्डार एवं उपभुक्त कलपूरज	39,93,60,770	36,18,39,289
ङ) संचाली	10,62,52,761	2,18,73,369
च) परिवहन व्यय	3,33,89,139	3,37,12,402
छ) मरम्मत एवं अनुरक्षण	79,59,61,317	69,65,68,846
ज) सुरक्षा पर व्यय	13,34,55,752	7,79,93,019
झ) नगर क्षेत्र एवं सामाजिक सुविधाओं पर व्यय	5,60,94,435	5,28,24,372
ञ) विविध व्यय	8,40,96,397	6,52,20,826
उप-योग	392,60,66,089	338,51,68,521
अन्य व्यय	3,70,36,672	2,05,33,201
ह्रास	66,60,61,229	27,54,55,095
उप-योग	462,91,63,990	368,11,56,817
घटाया - पूंजीगत लेखे में स्थानान्तरित व्यय	—	14,62,07,607
योग	462,91,63,990	353,49,49,210
पूर्वकालिक समायोजन पूर्व लाभ	80,13,90,779	61,12,98,349
जोड़ा पूर्वकालिक समायोजन	(2,29,12,941)	(1,08,57,989)
कर पूर्व लाभ	77,84,77,838	60,04,40,360
घटाया : कर का प्रावधान		
वर्ष के लिए	22,20,00,000	6,81,00,000
पूर्व के वर्ष के लिए	6,88,480	(13,59,985)
आस्थगित कर	9,32,05,159	35,07,19,489
अनुषंगी लाभ कर	—	28,82,887
कर के परभावतः लाभ	46,25,84,199	18,00,97,969
गत वर्ष से अग्रोनीत अधिशेष	99,40,21,256	91,59,10,937
विनियोग से पूर्व अधिशेष	145,66,05,455	109,60,08,906
विनियोग		
सामान्य आरक्षित निधि में प्रस्तावित स्थानान्तरण	11,60,00,000	4,70,00,000
प्रस्तावित लाभोश	11,60,00,000	4,70,00,000
प्रस्तावित लाभोश पर कर	1,92,66,150	79,87,650
अधिशेष तुलन पत्र में ले जाया गया	120,53,39,305	99,40,21,256
प्रति शेयर आय - बेसिक (रुपया में)	40.71	20.00
प्रति शेयर आय - डायलूटेड (रुपया में)	40.71	19.76
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	14	
लेखे पर की टिप्पणियाँ	15	
उपरोक्त उल्लिखित अनुसूचियाँ लाभ-हानि का एक अभिन्न अंग हैं।		

यह हमारे संलग्नक सम दिनांक के अनुसार हस्ताक्षरित है

कृते एस. गांगुली एवं एसोसियेट

सनदी लेखाकार

फर्म रजि. सं. 302192ई

डी. पी. साहा
भागीदार

सदस्यता संख्या : 003935

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 29 जून 2009

कृते एवं बोर्ड के तरफ से

पी. वी. दुबे
कम्पनी सचिव

आर. पी. गुप्ता
निदेशक (वित्त)

डी. आचार्या
निदेशक (तकनीकी)

आर. गुप्ता
अध्यक्ष एवं
प्रबंध निदेशक

अंश पूँजी

अनुसूची - 1

	31.03.2010 की स्थिति के अनुसार	31.03.2009 की स्थिति के अनुसार
	रुपये	रुपये
प्राधिकृत पूँजी		
प्रत्येक 1,000 रुपये के 1,50,00,000 साम्यिक अंश (गत वर्ष 1,50,00,000)	1500,00,00,000	1500,00,00,000
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूँजी		
क) प्रत्येक 1,000 रुपये के 1,00,000 (गत वर्ष 1,00,000) साम्यिक अंश जिसका भुगतान 581/- रुपये तक नगद से भिन्न रूप में तथा 419/- रुपये नकद मूल्य लेकर किया गया।	10,00,00,000	10,00,00,000
ख) प्रत्येक 1,000 रुपये के 1,853/- (विगत वर्ष 1853/-) साम्यिक अंश का आबंटन नगद से भिन्न प्रतिदाय के लिये पूर्ण प्रदत्त में किया गया।	18,53,000	18,53,000
ग) प्रत्येक 1,000 रुपये के 1,24,32,425/- (विगत वर्ष 98,69,625/-) साम्यिक अंश जिसका भुगतान नकद किया - पूर्ण प्रदत्त	1243,24,25,000	986,96,25,000
	1253,42,78,000	997,14,78,000
शेयर पूँजी आबंटन लम्बित		
साम्यिक पूँजी के रूप में परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार से प्राप्त	94,50,00,000	80,50,00,000
योग	1347,92,78,000	1077,64,78,000



आरक्षित एवं अधिशेष निधि

अनुसूची – 2

	31.03.2010 की स्थिति के अनुसार		31.03.2009 की स्थिति के अनुसार
	रुपये	रुपये	रुपये
क) आरक्षित निधि			
1. पूँजीगत निधि		2,11,158	2,11,158
2. निवेश भत्ता उपयोग आरक्षित निधि		1,90,71,000	1,90,71,000
3. सामान्य आरक्षित निधि – प्रारम्भिक शेष	35,51,21,095		
जोड़ा : लाभ एवं हानि खाते से प्रस्तावित स्थानान्तरण	11,60,00,000	47,11,21,095	35,51,21,095
		49,04,03,253	32,74,03,253
ख) अधिशेष निधि			
लाभ-हानि खाते के अनुसार अधिशेष योग		120,53,39,305	99,40,21,256
		169,57,42,558	136,84,24,509

स्थायी

सकल ब्लॉक				
विवरण	1.4.2009 को	जोड़ा/ समायोजन	विक्री/ समायोजन	31.3.2010 को
1	2 रुपये	3 रुपये	4 रुपये	5 रुपये
लीज भूमि	6,80,56,205	44,01,939		7,24,58,144
स्वतंत्र भूमि	34,85,79,445	0		34,85,79,445
फैक्टरी भवन	1,44,13,66,704	15,10,17,295		1,59,23,83,999
अन्य भवन	84,69,48,013	8,28,86,965		92,98,34,978
संयंत्र एवं मशीनरी	6,26,07,16,055	32,64,85,517	(2,26,98,661)	6,56,45,02,911
विद्युत, प्रतिस्थापन	1,20,39,14,659	4,63,00,231	(3,47,849)	1,24,98,67,041
ओपेनकास्ट खान	1,22,35,27,908	0		1,22,35,27,908
फर्नीचर एवं साज-समान	4,40,38,588	44,04,886		4,84,43,474
उपकरण	7,21,61,298	27,05,920		7,48,67,218
वाहन	6,09,75,383	96,75,193		7,06,50,576
अमूर्त सम्पत्ति (वन भूमि में उपयोग के लिए)	13,98,47,444	0		13,98,47,444
योग	11,71,01,31,702	62,78,77,946	(2,30,46,510)	12,31,49,63,138
गत वर्ष	6,72,54,05,988	4,99,25,05,901	(77,80,187)	11,71,01,31,702

- टिप्पणी : 1. वर्ष के लिए 66,83,81,361 /- (विगत वर्ष रुपये 29,79,91,017 /-) मूल्यहासित कर आवंटित किया गया
 i) लाभ हानि खाता रु. 66,60,61,229 /- (गत वर्ष रुपया 27,54,55,095 /-)
 ii) परियोजना पर अप्रत्यक्ष खर्च रु. 23,20,132 /- (गत वर्ष रु. 2,25,35,922 /-)
 2. रु. 5,000 /- एवं उससे कम लागत की अचल परिसंपत्ति 20,12,640 /- रुपये (गत वर्ष 16,03,869 /-) को इस वर्ष पूर्ण रूप से मूल्यहासित किया गया।
 3. बाकी भवन में उच्च लेवल पुल एवं उसकी सड़क शामिल है जिसके निर्माण (जो कम्पनी की अपनी जमीन पर नहीं है) में 419.78 लाख रुपये (विगत वर्ष 419.78 लाख रुपये) (सकल राशि) खर्च किये गये।
 4. अमूर्त संपत्ति 553.24 एकड़ (विगत वर्ष 553.24 एकड़) 1398.47 लाख रुपये लागत की (विगत वर्ष 1398.47 लाख) वन भूमि भी शामिल है जो झारखण्ड सरकार से विशिष्ट उपयोग के लिए प्राप्त की गयी है एवं इसका स्वामित्व झारखण्ड सरकार के पास है।

परिसंपत्तियाँ

अनुसूची - 3

मूल्यहास					शुद्ध ब्लॉक	
14.2009 को	इस वर्ष के लिए	बिक्री व समायोजन	गत वर्ष के लिए	31.3.2010 तक कुल प्रावधान	31.3.2010 को	31.3.2009 को
6 रुपये	7 रुपये	8 रुपये	9 रुपये	10 रुपये	11 रुपये	12 रुपये
2,61,09,612	40,10,837		0	3,01,20,449	4,23,37,695	4,19,46,593
40,96,344	3,42,003		0	44,38,347	34,41,41,098	34,44,83,101
27,16,23,361	4,62,32,572		16,54,504	31,95,10,437	1,27,28,73,562	1,16,97,43,343
18,48,51,767	1,64,60,419		0	20,13,12,186	72,85,22,792	66,20,96,246
2,56,72,80,646	46,86,74,784	(5,10,085)	1,57,33,574	3,05,11,78,919	3,51,33,23,992	3,69,34,35,409
21,39,71,131	5,74,27,316	(35,799)	25,45,305	27,39,07,953	97,59,59,088	98,99,43,528
1,01,96,066	6,11,76,395		50,98,033	7,64,70,494	1,14,70,57,414	1,21,33,31,842
2,46,32,124	28,19,832		786	2,74,52,742	2,09,90,732	1,94,06,464
4,31,66,185	21,63,270		0	4,53,29,455	2,95,37,763	2,89,95,113
3,90,57,009	31,78,420		0	4,22,35,429	2,84,15,147	2,19,18,374
64,15,446	58,34,464			1,22,49,910	12,75,97,534	13,34,31,998
3,39,13,99,691	66,83,20,312	(5,45,884)	2,50,32,202	4,08,42,06,321	8,23,07,56,817	8,31,87,32,011
3,10,11,88,860	29,79,91,017	(77,80,186)	0	3,39,13,99,691	8,31,87,32,011	3,62,42,17,128

प्रगतिधीन पूँजीगत कार्य

अनुसूची - 4

	31.03.2010 की स्थिति के अनुसार	31.03.2009 की स्थिति के अनुसार
	रुपये	रुपये
1. जादुगोड़ा खान तथा संयंत्र	7,06,96,644	4,28,76,909
2. नरवापहाड़ खान	24,78,539	53,20,849
3. तुरामडीह खान परियोजना	10,01,90,365	10,63,85,645
4. बागजाता खान परियोजना	55,92,14,078	50,63,44,151
5. तुरामडीह मिल परियोजना	2,89,53,575	29,14,49,863
6. बांदुहुरांग खान परियोजना	—	21,89,133
7. माहुलडीह खान परियोजना	10,36,31,521	5,30,81,972
8. तुमल्लापल्ली परियोजना	519,77,49,732	119,53,38,993
9. तुरामडीह खान विस्तारण परियोजना	5,16,58,131	89,65,032
10. तुरामडीह खान विस्तारण परियोजना	21,72,67,019	—
11. परियोजना पूर्व के खर्चे		
क) लाम्बापुर परियोजना	5,28,07,657	4,99,64,895
ख) के.पी.एम. परियोजना	6,12,22,734	5,34,99,983
ग) तुमल्लापल्ली विस्तारण परियोजना	16,35,000	—
	11,56,65,391	10,34,64,878
12. पूँजीगत व्यय के लिए आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को अग्रिम	97,95,86,397	130,52,71,012
13. स्टाक में पूँजीगत सम्पत्ति जिसका प्रतिस्थापन/उपयोग अभी किया जाना बाकी है मार्गस्थ सहित जिसमें रु. 1,79,47,085/- (गत वर्ष रु. 3,56,21,641/-)	3,40,55,988	4,80,74,500
योग	7,46,11,47,380	366,87,62,937



चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम

अनुसूची – 5

(क) चालू परिसंपत्तियाँ

	31.03.2010 की स्थिति के अनुसार		31.03.2009 की स्थिति के अनुसार
	रुपये	रुपये	रुपये
1. माल सूची (जैसा कि प्रबन्धक द्वारा प्रमाणित किये गये मूल्यांकन के अनुसार लिया गया है)		1,77,47,322	2,65,59,869
अ) प्रत्यक्ष सामग्रियाँ			
ब) भंडार एवं कलपूर्जे (शुद्ध पूँजीगत स्टॉक)			
i) भंडार एवं कलपूर्जे	26,02,07,533		28,21,04,552
ii) मार्गस्थ भंडार	3,64,41,373		4,21,03,666
	29,66,48,906		32,42,08,218
घटाया : अप्रयुक्त भंडार के लिए प्राक्धान	1,81,31,262		1,53,63,183
		27,85,17,644	30,88,45,035
स) व्यापाराधीन स्टॉक			
i) अयस्क	23,17,66,187		28,56,68,770
ii) प्रक्रियाधीन कार्य	15,04,41,493		11,84,31,897
iii) उपोत्पाद	10,80,640		5,41,872
iv) रद्दी माल	1,15,10,747		1,34,58,416
	39,47,99,067		41,81,00,955
घटाया : प्राक्धान (उपोत्पाद)	3,25,413		3,25,413
		39,44,73,654	41,77,75,542
योग (अ + ब + स) आगे ले जाया गया		69,07,38,620	75,31,80,446

चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम

अनुसूची – 5 (क्रमशः)

(क) चालू परिसंपत्तियाँ

	31.03.2010 की स्थिति के अनुसार		31.03.2009 की स्थिति के अनुसार
	रुपये	रुपये	रुपये
लाया गया		69,07,38,620	75,31,80,446
2. विविध देनदारियाँ (अप्रतिभूत)			
1. छः महीने से अधिक			
i) वसूली योग्य समझा गया	—		—
ii) संदेहास्पद समझा गया	—		—
	—		—
2. अन्य ऋण (वसूली योग्य)	27,55,25,253		37,92,79,328
	27,55,25,253	27,55,25,253	37,92,79,328
3. नकद एवं बैंक में जमा शेष			
1. नकद जो पास है (अग्रदाय राशि एवं टिकट सहित) जैसा कि प्रमाणित किया गया है।	15,40,444		13,10,160
2. अधिसूचित राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा शेष			
क) चालू खाता	1,93,06,805		72,87,12,949
ख) सावधि जमा खाता	251,69,17,392		191,56,58,150
		253,77,64,641	264,56,81,259
(ओडी/बीजी/एलसी हेतु 1,50,19,81,381/- रुपये का टीडीआर गिरवी रखा गया है)			
4. उपार्जित ब्याज		16,80,27,587	14,93,73,744
योग		367,20,56,101	392,75,14,777

टिप्पणी : गिरवी रखे गए टी.डी.आर. का विवरण

क्र.सं.	बैंक	बैंक गारंटी	अधिविकर्ष सुविधा/एल.सी.
1.	भारतीय स्टेट बैंक, जादुगोड़ा	1,19,287	20,00,00,000
2.	आईडीबीआई बैंक, जमशेदपुर	—	65,18,62,094
3.	केनारा बैंक जमशेदपुर	—	35,00,00,000
4.	यूको बैंक, जमशेदपुर	—	30,00,00,000



चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम

अनुसूची – 6

(ख) ऋण एवं अग्रिम

	31.03.2010 की स्थिति के अनुसार		31.03.2009 की स्थिति के अनुसार
	रूपये	रूपये	रूपये
1. नगद या वस्तु के रूप में या वस्तु के लिए वसूली योग्य अग्रिम			
क) प्रतिभूत जो वसूली योग्य समझी गई कर्मचारियों को दिया गया गृह-निर्माण अग्रिम		8,47,02,418	7,94,19,842
ख) अप्रतिभूत जो वसूली योग्य समझी गई			
क) कर्मचारियों को दिया गया अग्रिम	2,62,65,165		2,49,36,208
ख) आपूर्तिकर्ताओं को दिया गया अग्रिम			
अ) वसूली योग्य समझा गया	2,99,60,741		1,87,67,766
ब) संदेहास्पद समझा गया	2,33,491		2,33,491
	3,01,94,232		1,90,01,257
घटाया : संदेहास्पद पेशगियों का प्रावधान किया गया	2,33,491		2,33,491
	2,99,60,471		1,87,67,766
ग) ठेकदारों, सरकारी विभागों इत्यादि को दिया गया अग्रिम	8,24,77,190		7,45,59,099
घ) कर की अग्रिम राशि	24,52,20,489		12,61,89,037
ङ) वसूली योग्य अन्य राशियाँ			
i) वसूली योग्य समझा गया	11,73,07,051		11,55,46,060
ii) संदेहास्पद समझा गया	8,14,771		8,14,771
	11,81,21,822		11,63,60,831
घटाया : संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान	8,14,771		8,14,771
	11,73,07,051		11,55,46,060
च) कर्मचारियों से वसूली योग्य अन्य राशियाँ	44,52,209		33,47,732
छ) पूर्व-प्रदत्त व्यय	9,80,124		6,50,331
उपयोग (ख)		50,66,62,969	36,39,96,233
आगे ले जाया गया (क + ख)		59,13,65,387	44,34,16,075

चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम

अनुसूची - 6 (क्रमशः)

(ख) ऋण एवं अग्रिम

	31.03.2010 की स्थिति के अनुसार	31.03.2009 की स्थिति के अनुसार
लाया गया	रूपये 59,13,65,387	रूपये 44,34,16,075
3. जमा (अप्रतिभूत जो वसूली योग्य समझी गयी)		
क) सीमा शुल्क तथा पोर्ट आयुक्त	1,53,382	1,53,382
ख) सरकारी विभाग तथा अन्य	48,58,066	21,92,989
	50,11,448	23,46,371
योग	59,63,76,835	44,57,62,446

टिप्पणियाँ कर्मचारियों को दिये गये अग्रिम में शामिल	31.03.2010 की स्थिति के अनुसार	वर्ष 2009-2010 में बकाया अग्रिम की अधिकतम राशि	31.03.2009 की स्थिति के अनुसार	वर्ष 2008-2009 में बकाया अग्रिम की अधिकतम राशि
1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पास बकाया अग्रिम	रूपये शून्य	रूपये शून्य	रूपये शून्य	रूपये शून्य



चालू देयताएँ एवं प्रावधान

अनुसूची – 7

	31.03.2010 की स्थिति के अनुसार		31.03.2009 की स्थिति के अनुसार
	रुपये	रुपये	रुपये
क) चालू देयताएँ			
1. विविध लेनदार			
क) लघु उद्योग	64,33,056		30,20,517
ख) अन्य	<u>19,89,64,506</u>		<u>19,74,82,849</u>
		20,53,97,562	20,05,03,366
2. ओवर ड्राफ्ट लेखा में		5,30,50,762	6,51,89,380
3. सावधि जमा पर ओवर ड्राफ्ट		9,91,25,084	74,97,71,713
4. अन्य देयताएँ		<u>327,75,08,106</u>	<u>237,91,24,735</u>
		363,50,81,514	339,45,89,194
ख) प्रावधान			
1. कर के लिये	22,41,41,420		7,10,75,887
2. प्रस्तावित लाभांश	11,60,00,000		4,70,00,000
3. प्रस्तावित लाभांश पर कर	1,92,66,150		79,87,650
4. अन्य प्रावधान	<u>1,19,61,122</u>		<u>95,55,721</u>
		37,13,68,692	13,56,19,258
योग		<u>400,64,50,206</u>	<u>353,02,08,452</u>

ब्याज

अनुसूची – 8

	2009-10	2008-09
	रुपये	रुपये
1. बैंक में जमा राशि पर	20,06,96,944	17,49,78,906
2. अन्य	84,64,293	77,91,302
योग	<u>20,91,61,237</u>	<u>18,27,70,208</u>

अन्य प्राप्तियाँ

अनुसूची - 9

	2009-10	2008-09
	रुपये	रुपये
1. अवशिष्ट सामग्रियों की बिक्री से प्राप्त राशि	40,21,558	85,09,751
2. उपकरणों तथा वाहनों का किराया	2,92,394	3,48,509
3. आपूर्तिकर्ताओं से पैकिंग सुधार भाड़ा एवं दण्ड आदि की वसूली	29,57,227	87,01,942
4. वास्तविक सत्यापन के समय पाये गये अतिरिक्त भंडार	6,522	11,189
5. आवेदन शुल्क	2,47,320	48,103
6. निविदा प्रपत्रों की बिक्री	11,93,065	11,19,550
7. बीमा के दावों के निपटारे की राशि	1,34,284	8,572
8. देयताएँ एवं प्रावधान जिसकी आवश्यकता नहीं रही		
क) भंडार	—	—
ख) अन्य	6,49,498	49,49,668
9. आवासीय प्राप्तियाँ	2,01,84,626	2,06,98,634
10. परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	—	39,29,999
11. विविध	12,44,863	27,92,945
योग	3,09,31,357	5,11,18,862



अयस्क, उपोत्पाद, प्रक्रियाधीन कार्य तथा स्क्रेप के भंडार में वृद्धि / (कमी)

अनुसूची - 10

	2009-10	2008-09
	रुपये	रुपये
प्रारम्भिक शेष		
अयस्क	28,56,68,770	9,06,97,354
गौण-उत्पाद	5,41,872	4,53,275
प्रक्रियाधीन कार्य	11,84,31,897	1,31,39,092
स्क्रेप	1,34,58,416	1,18,52,503
	41,81,00,955	11,61,42,224
जोड़ा : चालू परियोजना का भंडार		
क) बादुहुरांग खान अयस्क	—	3,30,18,578
ख) तुरामडीह मिल में प्रक्रियाधीन कार्य	—	9,55,97,505
	41,81,00,955	24,47,58,307
अंतिम शेष :		
अयस्क	23,17,66,187	28,56,68,770
गौण-उत्पाद	10,80,640	5,41,872
प्रक्रियाधीन कार्य	15,04,41,493	11,84,31,897
स्क्रेप	1,15,10,747	1,34,58,416
	39,47,99,067	41,81,00,955
भण्डार में पूर्ण वृद्धि / (कमी)	(2,33,01,888)	17,33,42,648

उत्पादन तथा प्रशासनिक खर्चे

अनुसूची - 11

	2009-10	2008-09
	रुपये	रुपये
1. वेतन तथा मजदूरी	128,09,25,938	104,79,05,322
2. भवस्थि निधि में अंशदान	9,55,06,056	7,61,85,935
3. उपदान निधि में अंशदान	1,92,91,849	10,91,63,497
4. कल्याण निधि में अंशदान	97,712	90,130
5. सेवानिवृत्ति कोषण में अंशदान	96,82,493	73,26,889
6. छुट्टी यात्रा रियायत पर व्यय	2,13,55,527	69,61,533
7. कर्मचारियों के कल्याणार्थ व्यय	2,69,92,244	2,51,75,016
8. बिजली	47,52,82,183	36,88,16,108
9. पानी	3,82,84,214	3,48,12,805
10. प्रत्यक्ष सामग्रियाँ उपभुक्त	35,00,37,302	39,86,99,183
11. भंडार एवं उपभुक्त कलपूर्जे	39,93,60,770	36,18,39,269
12. रॉयल्टी शुल्क	10,62,52,761	2,18,73,369
13. अयस्क की दुलाई पर व्यय	3,33,89,139	3,37,12,402
14. मरम्मत एवं अनुरक्षण		
क) संयंत्र एवं मशीनरी	52,00,61,920	47,17,72,140
ख) भवन	2,14,78,246	3,29,83,675
ग) वाहन	68,45,462	73,96,557
घ) अन्य	24,75,75,689	18,44,16,474
15. सुरक्षा बल पर व्यय	13,34,55,752	7,79,93,019
16. बीमा प्रभार	13,23,357	11,99,598
17. शुल्क तथा कर	28,35,055	47,44,128
18. नगर क्षेत्र एवं सामाजिक सुविधाओं पर व्यय	5,60,94,435	5,28,24,372
19. यात्रा व्यय	1,01,56,051	1,11,01,859
20. टेलीफोन-प्रभार	30,78,320	24,50,180
21. मुद्रण एवं लेखन सामग्री	15,28,314	17,34,658
22. तार एवं डाक-व्यय	6,60,206	7,38,123
23. विधि विषयक व्यय	8,44,215	2,40,088
24. बैंक प्रभार	1,69,327	1,96,836
25. विज्ञापनों पर व्यय	2,11,01,237	71,60,146
26. अन्य विविध व्यय	4,24,00,315	3,56,55,210
योग	392,60,66,089	338,51,68,521

टिप्पणी : क) वेतन तथा मजदूरी सहित अन्य लाभ में जल की लागत से संबंधित 1,63,24,173/- रुपये (गत वर्ष 1,55,55,786/- रुपये) सम्मिलित नहीं है।

ख) कर्मचारियों के स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लिए रु. 24,91,995/- (विगत वर्ष रु. 1,00,49,765/-) वेतन तथा मजदूरी में शामिल है।

ग) मरम्मत एवं अनुरक्षण में उपयुक्त भंडार के 19,93,70,305/- रुपये सम्मिलित है (गत वर्ष 15,69,82,685/- रुपये) तथा कलपूर्जे के 32,06,91,615/- रुपये (गत वर्ष के 31,47,89,455/- रुपये) कुल 52,00,61,920/- रुपये (गत वर्ष 47,17,72,140/- रुपये) जिसे "भंडार एवं कलपूर्जे" में सम्मिलित नहीं किया गया।

अन्य व्यय

अनुसूची – 12

	2009-10		2008-09	
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
बिक्री कर		12,04,044		20,84,398
लेखा परीक्षकों को भुगतान				
क) साविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	2,20,000		1,76,000	
ख) कर के लिए लेखा परीक्षा शुल्क	50,000		40,000	
ग) पॉकेट खर्च	50,000		40,000	
		3,20,000		2,56,000
आंतरिक अंकेक्षण शुल्क		5,11,359		5,24,665
वैट अंकेक्षण शुल्क		30,000		20,000
भाड़ा एवं हैंडलिंग प्रभार		45,87,680		65,31,100
अप्रयुक्त भंडार जिसे बड़े खाते में डाला गया		22,433		70,852
अप्रयुक्त भंडार का प्रावधान		27,68,079		7,01,499
दान		—		1,71,405
कारपोरेट का सामाजिक दायित्व व्यय		1,35,56,515		42,89,683
अशोध्य एवं सन्देहास्पद दावे/अग्रिम का प्रावधान		—		1,88,406
ऑर्बिट्रेशन एवार्ड व्यय		1,76,797		1,76,797
स्क्रैप की बिक्री पर व्यय		1,29,271		2,60,582
ब्याज भुगतान किया गया		1,37,30,494		52,57,814
योग		3,70,36,672		2,05,33,201

पूर्वकालिक समायोजन

अनुसूची – 13

	2009-10	2008-09
	रुपये	रुपये
व्यय		
वेतन	1,16,79,328	—
मूल्यहास	2,50,32,202	—
अन्य खर्च	—	1,08,57,989
उप-योग (क)	3,67,11,530	1,08,57,989
आय		
अन्य	1,37,98,589	—
उप-योग (ख)	1,37,98,589	—
योग (ख - क)	(2,29,12,941)	(1,08,57,989)

नगर क्षेत्र एवं सामाजिक सुविधाओं

(जैसा कि वित्त मंत्रालय भारत सरकार, के दिनांक 5 मार्च, 1969 के

विवरण	नगर क्षेत्र	विद्यालय शैक्षणिक सुविधाएँ	चिकित्सा सुविधा
	रुपये	रुपये	रुपये
वेतन तथा मजदूरी	37772125	63930788	20094404
भविष्य निधि में कर्मचारियों का अंशदान	3415505	1225943	1747827
उपदान निधि में अंशदान	844941	59225	334843
उपयोगिता	68573755	116269	742462
भंडार एवं कलपूर्जे का उपयोग	3769153	216231	7633669
मरम्मत एवं अनुरक्षण	10672740	28354	259577
अन्य व्यय			
क) चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय	1906502	2677113	33604574
ख) अन्य व्यय	3807381	1012306	589449
योग	130762102	69266229	65006805
जोड़ा : ह्रास	20730079	0	0
योग	151492181	69266229	65006805
घटाया : प्राप्तियाँ	16026837	1371164	2270058
कुल योग	135465344	67895065	62736747
गत वर्ष	140448398	47526882	70445635



(अतिथि गृह सहित) पर व्यय

कार्यालय ज्ञापन सं. बी.पी.ई./1 (17) ए.डी.वी. (7)/69 द्वारा अपेक्षित है)

रियायती परिवहन सुविधा	सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियाँ	अतिथि गृह	वर्ष 2009-10 के लिए	वर्ष 2008-09 के लिए
रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
2941097	259833	2059767	127058014	104326359
214405	18865	157487	6780032	5961245
70985	7735	57741	1375470	7570832
0	0	44314	69476800	76567321
4085592	0		15704645	17497674
2358549	0	112534	13431754	24726925
0	0	3369498	41557687	35701693
0	0	51046	5460182	11315886
9670628	286433	5852387	280844584	283667935
0	0	0	20730079	15389638
9670628	286433	5852387	301574663	228070335
348687	0	424416	20441162	16787933
9321941	286433	5427971	281133501	211282402
14195046	834466	5123032	278573460	250888909

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

अनुसूची — 14

1. **वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार :**
वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परम्परा के अन्तर्गत भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत, कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 तथा अन्य प्रयोज्य कानूनी अधिनियम के अनुसार तैयार किया जाता है।
2. **अनुमानों का प्रयोग :**
वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण में अनुमानों एवं धारणाओं के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है जो कि वित्तीय विवरण के दिन परिसम्पत्ति एवं दायित्वों को सूचित करता है तथा उस अवधि के दौरान राजस्व एवं खर्च को सूचित करता है। उस अवधि के वास्तविक परिणामों एवं अनुमानित परिणामों के अन्तर को जानने के बाद / कार्य पूरा होने के बाद मान्यता दी जाती है।
3. **स्थायी परिसम्पत्तियाँ :**
 - क) कुल मूल्यहास को घटाकर सभी निश्चित परिसम्पत्तियों को ऐतिहासिक लागत पर दिखलाया गया है। परियोजनाओं के मामले में लागत पूर्व परिचालन के खर्च भी शामिल है।
 - ख) नयी खानों के निर्माण में हुए खर्चों को खान निर्माण की अवधि में निकले अयस्क से हुई आय को घटाकर प्राप्त किया जाता है।
 - ग) बीमाकृत कलपूर्जों को केवल निश्चित परिसम्पत्तियों के मद के सिलसिले में प्रयोग किये जा सकते हैं तथा जिनका नियमित रूप से इसमें उपयोग नहीं होता है उन्हें संबंधित सम्पत्तियों के साथ जोड़ा गया है।
 - घ) सिस्टम साफ्टवेयर को संबंधित परिसम्पत्ति के साथ पूँजी में परिणत किया जाता है। एप्लीकेशन साफ्टवेयर को जिस वर्ष इसका उपयोग हुआ उस वर्ष उसे राजस्व में दिखलाया गया है।
4. **पूँजीगत कार्य प्रगति पर :**
पूँजीगत कार्य प्रगति पर में सम्पत्ति के अधिग्रहण तथा निर्माण के खर्च शामिल है तथा अचल परिसम्पत्तियों की लागत जिसे उसमें अभिप्रेरित उपयोग के लिए अभी भी तैयार नहीं है को निर्माण खर्च में शामिल किया गया है।
5. **मूल्यहास :**
 - क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची — 14 में निर्धारित दर के आधार पर मूल्यहास सीधी रेखा पद्धति द्वारा लगाया जाता है। 01.04.1997 के पूर्व अधिग्रहित परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास सीधी रेखा पद्धति द्वारा परिसम्पत्तियों के 01.04.1997 के प्रारंभिक शुद्ध मूल्य पर, मूल्यहास की निर्धारित दर जो परिसम्पत्तियों की अवशेष आयु के आधार पर निकाली गई है, के आधार पर लगाया गया है जैसाकि कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची — 14 में दर्शाया गया है।
 - ख) प्रभावित वर्ष की पूर्ण अवधि में परिसम्पत्तियाँ का समायोजन/निपटान मासिक यथानुपात के आधार पर मूल्यहास प्रभारित कर किया जाता है जिसमें अगले महीने की प्रथम तिथि को अधिग्रहण की तिथि तथा महीने की अन्तिम तिथि को उसके निपटान की तिथि माना गया है।
 - ग) सम्पत्ति का विस्तार या योग जो वर्तमान परिसम्पत्तियों का अभिन्न अंग है उसे उसके उपयोग की शेष अवधि के लिए ह्रासित किया गया।
 - घ) कुछ निश्चित परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची-14 में निर्धारित दर से अधिक लगाया गया है जिसका कारण उस सम्पत्ति के उपयोग की आयु तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर कम आँका जाना है। जहाँ कहीं भी वर्तमान परिसम्पत्तियों की अनुमानित आयु को वास्तविक आयु से कम होने का अनुमान लगाया गया है वहाँ संशोधन किया जाता है एवं उसके शेष उपयोग की आयु पर मूल्यहास किया जाता है।
तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर तृतीय चरण टेलिंग्स पौण्ड (स्लाईम डैम) के उपयोग की आयु 10 वर्ष है।
 - ङ) टेलिंग्स पौंड के निर्माण के लिए उपयोग की गई निजी भूमि, सरकारी भूमि, वनभूमि का मूल्यहास उसकी उपयोगी आयु के आधार पर किया गया है।
 - च) सरकारी भूमि जिसे लीज होल्ड के अन्तर्गत दिखलाया गया है तथा जिसे अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया गया है उसे लीज अवधि तक के लिए या सम्पत्ति के उपयोग की अवधि तक के लिए जो भी पहले होता है जिसके लिए भूमि का उपयोग किया गया है उसका मूल्यहास किया गया है।
 - छ) **अमूर्त सम्पत्ति :** वन भूमि जिसे विभिन्न खानों एवं मिलों के लिए अधिग्रहित किया गया था उसका परिशोधन सीधी रेखा पद्धति के आधार पर उसकी सम्भावित आयु के अनुमान पर किया गया है।
 - ज) बीमाकृत कलपूर्जों को संबंधित परिसम्पत्तियों के अवशेष उपयोग की आयु से उस दर पर ह्रासित किया जाता है जो उस सम्पत्ति के लिए प्रयोज्य है तथा मूल्यहास की राशि को सम्पत्ति के अधिग्रहण की तारीख से बीमाकृत कलपूर्जों की आयु तक के लिए अधिग्रहण के वर्ष में लगाया गया है।
 - झ) 5,000 रु. या उससे कम लागत वाली परिसम्पत्तियों को वर्ष के प्रारम्भ में ही पूर्णतः ह्रासित कर दिया जाता है।



6. **वस्तुओं का मूल्यांकन :**
- क) **वस्तुओं का मान**
वस्तुओं को लागत एवं प्राप्ति योग्य मूल्य में जो भी कम हो पर लिया गया है।
- ख) **लागत सूत्र**
- | | | | |
|------|--|---|-------------------------|
| i) | अयस्क एवं प्रसंस्करणधीन कार्य | : | लागत पद्धति अपनाते पर |
| ii) | प्रत्यक्ष सामग्री, भण्डार तथा कलपुर्जे | : | भारित औसत लागत मूल्य पर |
| iii) | मार्गस्थ एवं निरीक्षणधीन माल | : | अधिग्रहित मूल्य पर |
| iv) | गौण-उत्पाद | : | परिवर्तित लागत पर |
| v) | स्क्रैप | : | अनुमानित मूल्य पर |
- ग) **खुले औजार**
खुले औजार को जारी करने के वर्ष ही बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।
- घ) **प्रयोज्य सम्पत्ति**
निश्चित परिसम्पत्तियों के मद जो उपयोग के बाद छोड़ दिये जाते हैं तथा जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है एवं जिन्हें निपटान के लिए रखा गया है उन्हें उनके शुद्ध लिखित मूल्य तथा प्राप्ति योग्य मूल्य जो भी कम हो, पर दिखलाया जाता है।
- ङ) **अयोग्य / अप्रचलित भण्डार**
पूँजीगत भण्डार एवं बीमाकृत कलपुर्जों के अतिरिक्त ऐसे भण्डार व कलपुर्जे जिनका पिछले पाँच वर्षों में प्रयोग नहीं किया गया है, के लिये अयोग्य अप्रचलित भण्डार का प्रावधान किया गया है। अनउपयुक्त घोषित की गयी सामग्री को निपटान के लिये अलग रखा जाता है और उसके लिखित मूल्य को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। निपटान में प्राप्त हुए मूल्य को आय में जमा कर दिया जाता है।
7. **राजस्व की मान्यता :**
भारत सरकार द्वारा यूरेनियम सांन्द्र के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए दी गई क्षतिपूर्ति को राजस्व के रूप में मान्यता दी गयी है।
8. **केन्द्र सरकार द्वारा पूँजीगत व्यय में सहायता :**
केन्द्र सरकार से पूँजीगत व्यय के लिये प्राप्त अनुदान जहाँ अधिग्रहित परिसम्पत्तियों का स्वामित्व सरकार के पास हो, इस प्रकार की परिसम्पत्तियों के रख-रखाव की लागत में समायोजित किया जाता है।
9. **अयस्क पिण्ड के विकास पर व्यय :**
वर्तमान कार्यरत खान में अयस्क पिण्ड को विकसित करने में हुए व्यय को उसी वर्ष जिसमें यह व्यय हुआ है, के लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है।
10. **खान बंदी दायित्व :**
खान एवं खनिज (विकास व नियमन) कानून 1957 (एम.एम.डी.आर. 1957) के अनुसार खान बन्द करने व पर्यावरण के पुनरुद्धार के दायित्व को पूर्ण करने के लिये देयधन का, अयस्क भण्डार की उपलब्धता के आधार पर तकनीकी आकलन कर खान के वार्षिक खनिज उत्पादन के आधार पर लाभ हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है।
11. **ऑपेन कास्ट खान के विकास पर व्यय :**
ऑपेन कास्ट खान के विकास पर हुये व्यय को अयोग्य पत्थर की पर्त को हटाने एवं खान के चालू होने की तिथि तक खनन बेंचो की तैयारी में हुए व्यय को खान की पूर्ण आयु पर परिशोधित किया जाता है।
12. **सेवा निवृत्ति के लाभ :**
- क) भविष्य निधि में कम्पनी के अंशदान को लाभ हानि खाता में उपाजित आधार पर दिखलाया गया है।
- ख) सेवा निवृत्ति में अंशदान कम्पनी की नीतियों के आधार पर किया जाता है तथा इसे भारत के जीवन बीमा निगम में जमा कराया जाता है एवं लाभ हानि खाता में उसी वर्ष दिखलाया जाता है जिस वर्ष यह (प्रीमियम) बकाया पड़ता है।
- ग) गैरच्युट तथा छुट्टी के नगदीकरण के लाभ को उपाजित मूल्यांकन के आधार पर उसी वर्ष लाभ हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।
- घ) स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति के खर्चों को उसी वर्ष राजस्व खाते में प्रभारित किया जाता है जिस वर्ष यह कर्मचारियों को अनुमोदित किया जाता है।
13. **विदेशी मुद्रा का लेन-देन :**
विदेशी मुद्रा का लेन-देन उसी तारीख की प्रभावी दर पर दर्ज किया जाता है जिस तारीख को यह लेन-देन हुआ है। वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा का दायित्व तथा चालू परिसम्पत्तियों को प्रभावी दर से रूपांतरित/बदला जाता है। पूँजीगत सम्पत्ति के मामले में इसके अन्तर को निश्चित परिसम्पत्तियों/पूँजी डब्ल्यू आई पी से तथा चालू परिसम्पत्ति/दायित्व के मामले में लाभ-हानि खाते में रूपांतरित किया जाता है।

14. चालू एवं आस्थागित कर के लिए प्रावधान :

आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभ को विचारने के बाद वर्तमान के कर का प्रावधान किया जाता है। आस्थागित कर जो लिखित और कर योग्य लाभ के मध्य समय की भिन्नता (टाईमिंग डिफरेंस) के फलस्वरूप कर की दरें तथा नियमों में प्रयोग के लिए किया जाता है जो आर्थिक चिह्न के दिन विधि अथवा पर्याप्त रूप से विधिवत् रूप में लिया जाता है। आस्थागित कर सम्पत्ति को मान्यता है तथा इसे उस अवस्था तक लिया जाता है जहाँ तक न्यायसंगत कारण है कि वह भविष्य में सम्पत्ति के रूप में परिणत किया जायेगा।

15. नगदी प्रवाह विवरण :

नगदी प्रवाह का अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग कर जिसमें कर पूर्व लाभ को बिना नगद लेन-देन के प्रभावों की गैर नगदी प्रवाह प्रकृति अथवा भविष्य एवं विगत की किसी आस्थागित एवं उपार्जित प्राप्त अथवा भुगतान के प्रभावों को समायोजित किया जाता है। कम्पनी की नियमित राजस्व आमदनी, वित्तपोषण और निवेश गतिविधियों द्वारा प्राप्त नगदी प्रवाह को अलग दिखाया जाता है।

16. अनुसंधान एवं विकास में व्यय :

पूँजीगत मदों से संबंधित खर्चों को निश्चित परिसम्पत्तियों में डेबिट किया जाता है तथा प्रयोज्य दरों पर मूल्यहासित किया जाता है। राजस्व खर्चों जिस वर्ष हुए इन्हें उसी वर्ष के लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है।

17. पूर्व अवधि का समायोजन :

विगत वर्ष से संबंधित 50,000 रुपये अधिक के आय/व्यय वाले मदों से जुड़े प्रत्येक मामले को पूर्व अवधि समायोजन के रूप में दिखलाया जाता है।

18. पूर्वदत्त व्यय :

अवधि समाप्त होने के पूर्व 50,000 रुपये से ज्यादा की पूँजी से जुड़े प्रत्येक मामले को पूर्वदत्त व्यय के रूप में दिखलाया जाता है।

19. लेखा की उपार्जित पद्धति के अपवाद :

कम्पनी निम्नलिखित मदों को छोड़कर जिनका नगदी आधार पर लेखा में प्रयोग होता है, लेखा में उपार्जित व्यवस्था को अपनाती है।

- क) ऐसे व्यय जिसके मूल्य का न्यायसंगत अंदाजा प्रावधान बनाने के लिये नहीं लगाया जा सकता।
- ख) चिकित्सा, भण्डार, खेल, सामग्री, मुद्रण सामग्री, जलपान गृह तथा अतिथि गृह के लिए व्यय का प्रावधान इसके क्रय के समय ही कर लिया जाता है।

20. सम्पत्तियों की क्षीणता :

- (क) सम्पत्तियों की लागत को प्रत्येक तुलनपत्र में विचारा जाता है, यह जानने के लिए कि क्या सम्पत्तियों में क्षीणता का कोई संकेत है। अगर कोई संकेत रहता है तो उस सम्पत्ति से प्राप्त होने योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। सम्पत्ति की क्षीणता को आँका जाता है कि क्या इसकी वसूली योग्य कीमत से इसकी दिखाई लागत अधिक है। संपत्ति की क्षीणता को मान्यता तब दी जाती है जब दिखायी जा रही राशि (Carrying Amount), वसूली योग्य राशि (Recoverable Amount) से अधिक है। प्राप्ति योग्य मूल्य, सम्पत्ति की बिक्री मूल्य तथा उपयोग किये मूल्य से ऊँचा होता है। उपयोग किये मूल्य का निर्धारण भविष्य के केश फ्लो को नियोजित पूँजी से जिसे भारत सरकार द्वारा यूरैनियम सान्द्र की दर के क्षतिपूर्ति के आधार पर कर दी जाती है, उसमें वर्तमान मूल्य को घटा दिया जाता है।
- (ख) क्षीणता ज्ञात होने के बाद सम्पत्ति की संशोधित राशि पर मूल्यहास का प्रावधान किया जाता है जो इसके उपयोगी आयु के ऊपर होता है।
- (ग) पूर्व में निर्धारित मूल्यहास हानि की परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर बढ़ाया या घटाया जाता है। हलांकि, इम्पेयरमेंट हानि को उस राशि से ज्यादा नहीं घटाया जा सकता है जो कि दिखाई गई राशि से ज्यादा हो जिसका निर्धारण (शुद्ध परिशोधित अथवा मूल्यहास) यह मानकर की पूर्व वर्ष में कोई इम्पेयरमेंट हानि नहीं निर्धारित की गई है के आधार पर किया गया हो।

21. आकस्मिक दायित्व :

इसे आर्थिक चिह्न के टिप्पणी द्वारा उल्लिखित किया गया है। इसे लेखा में उन आकस्मिक खर्चों के लिए प्रावधित किया जाता है जिसे वर्ष के अंत में लेखा की समाप्ति पर दायित्व में परिवर्तित किया जायेगा एवं आर्थिक चिह्न में जिसका प्रभाव दिखलाया जायेगा।

22. प्रावधान :

पूर्व घटना के परिणाम स्वरूप वर्तमान दायित्वों के लिये प्रावधान की मान्यता है और ऐसे दायित्व के भुगतान के लिये सम्भवतः संसाधनों के बहिर्वाह की जरूरत होगी बशर्तें इनका विश्वसनीय आंकलन सम्भव हो। प्रावधानों को इसके वर्तमान मूल्य में नहीं लिया गया है। इसे प्रबंधन के अनुमान पर निश्चित किया गया है जिससे कि दायित्वों का तुलन पत्र की तिथि पर निस्पति किया जा सके। इसकी प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि में समीक्षा की गई है एवं इसे प्रबंधन के वर्तमान अनुमान में प्रतिबिम्बित किया गया है।

लेखे पर टिप्पणियाँ

अनुसूची – 15

1. (क) कम्पनी को परमाणु ऊर्जा विभाग के आदेश संख्या 7/6/69-मिन. दिनांक 07 अगस्त 1973 तथा संख्या 7/6/69-मिन (पी.एस.यू.) दिनांक 3 जुलाई, 1974 की शर्तों की अनुपालन में परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 के 33) की धारा 18 के अन्तर्गत अपने उत्पादन तथा अन्य प्रभार, गौण उत्पादों सहित माल के प्रारम्भिक एवं अन्तिम स्टॉक, क्रय किये गये या अधिग्रहण किये गये कच्चे माल अनुज्ञप्ति एवं स्थापित क्षमता, वास्तविक उत्पादन को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 3 (i), 3 (ii) (1), 3 (ii) (2) एवं 4 – सी भाग – ii की अनुसूची – 6 के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित करने या उपलब्ध करने से निषिद्ध कर दिया गया है। इसी के अनुसार यह सूचना एवं जिसमें कच्चे माल, स्टॉक या कोई संबंधित खर्च एवं यूरेनियम सांद्र का अनिवार्य अधिग्रहण और गौण उत्पाद आदि सांविधिक लेखा परीक्षक जो कि कम्पनी एक्ट-1956 की धारा-619(2) के अंतर्गत नियुक्त किए जाते थे को वर्ष 2002-03 तक नहीं दिए जाते थे।
 - (ख) तथापि इन सूचनाओं को वर्ष 2003-04 से सरकारी लेखा परीक्षकों को उपलब्ध कराया जाता है जो कम्पनी अधिनियम 1956, की धारा 619 (2) के अनुसार उनके उच्च स्तर के उच्च परीक्षकों को परमाणु ऊर्जा विभाग के आदेश संख्या 10/8(12)/2004 – सरकारी उपक्रम/448ए दिनांक 9 जुलाई 2004 के तहत कम्पनी का महत्वपूर्ण अंकेक्षण को देखने एवं इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति, जिसमें इन सूचनाओं को अन्य एजेसियों को नहीं दिये जाने का गोपनीय करार भी है, दिया जाता है।
 2. (क) कम्पनी ने नरवापहाड़ में 1128.32 एकड़ (गत वर्ष 1128.32 एकड़), तुमलापल्ली में 813.412 हेक्टेयर (गत वर्ष 2009.13 एकड़) भूमि, तुरामडीह में 557.18 एकड़ (गत वर्ष 557.18 एकड़) भूमि, बाँदुहुरांग में 686.86 एकड़ भूमि (गत वर्ष 686.86 एकड़) एवं बागजाता में 303.14 एकड़ (गत वर्ष 303.14 एकड़) भूमि का खनन पट्टा प्राप्त कर लिया है। कम्पनी माटिन सहित जादुगोड़ा के लिए 1312.62 एकड़ (गत वर्ष 1312.62 एकड़) भूमि के खनन पट्टा के नवीनीकरण, महलडीह के लिए 288.20 एकड़ (गत वर्ष 288.20) भूमि, तुरामडीह के लिए 31.77 एकड़ अतिरिक्त भूमि, के.पी.एम. के लिए 290.45 हेक्टेयर (गत वर्ष 290.45 हेक्टेयर) एवं लाम्बापुर के लिए 1301.38 एकड़ (गत वर्ष 1301.38 एकड़) भूमि के लिए खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से पत्राचार कर रही है।
 - (ख) कम्पनी राज्य सरकार/निजी पार्टियों से 1548.09 एकड़ भूमि (गत वर्ष 1548.09 एकड़) भूमि का स्वीकारात्मक स्वामित्व रखती है। जिससे संबंधित दस्तावेजों का हस्तांतरण/पंजीकरण आदि पूरा करना बाकी है, जिसकी कीमत 1517.59 लाख रुपया (गत वर्ष 1517.59 लाख रुपया) है, जिसे कम्पनी की अचल परिसम्पत्ति में "लीज की भूमि" तथा "स्वतंत्र भूमि" शीर्ष में सम्मिलित किया गया है।
 - (ग) मुसाबनी में पूर्ववर्ती बिहार सरकार द्वारा हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड को पट्टे पर दी गई 3 एकड़ भूमि का उपयोग कम्पनी द्वारा 1986 से किया जा रहा है। इसके प्रयोग से संबंधित कोई औपचारिक अनुबंध नहीं हो पाने के कारण इसके लिए भुगतान/प्रावधान पर कोई विचार नहीं किया गया है।
 3. वर्ष के दौरान मेघालय, मावथाबा में केंलेंग पेंडेंग सोहियोंग खनन एवं प्रसंस्करण (मिलिंग) परियोजना के कार्यान्वयन एवं आधारभूत संरचना विकास हेतु भारत सरकार से सहायता अनुदान के रूप में 20.00 करोड़ रुपया (गत वर्ष 20.00 करोड़) प्राप्त हुआ कुल 20.00 करोड़ की प्राप्त राशि में से 31.03.2010 तक रुपये 17,92,22,718 (गत वर्ष 14,30,11,150) करोड़ रुपये खर्च हो चुका है।
 4. आकस्मिक दायित्व तथा स्वीकारोक्ति (लाख रुपया में)
- | | 31.03.2010 | 31.03.2009 |
|--|------------|------------|
| (क) कम्पनी के विरुद्ध दावे जिसे कम्पनी ने कर्ज के रूप में नहीं स्वीकारा है | | |
| ● न्यायालय में विचाराधीन | 6,261.38 | 4,784.79 |
| (ख) साख-पत्र जिसकी अवधि समाप्त नहीं हुई | 68.42 | 18.92 |
| (ग) उन ठेकों का अनुमानित मूल्य जिसे पूँजीगत खाते पर निष्पादित किया जाना बाकी है। तथा जिसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। (शुद्ध अग्रिम) | 1,978.88 | 4,780.75 |
5. वर्ष के दौरान झारखंड सरकार के द्वारा की गई विवादित रॉयल्टी मांग जो विभिन्न न्यायलयों में निर्णयाधीन है के विरुद्ध विरोध सहित रॉयल्टी के रूप में मैग्नेटाइट के लिए 1,65,63,062.11 तथा लघु खनिज के लिए ब्याज सहित 1,26,31,784.00 रुपये जिला खनन कार्यालय में जमा किया गया। इन लम्बित मामलों के न्याय द्वारा अंतिम निर्णय होने तक मैग्नेटाइट के लिए जमा की गई रॉयल्टी एवं ब्याज को अग्रम के रूप में दर्शाया गया है एवं लघु खनिज के राजस्व को सम्पत्ती के साथ पूँजीगत किया गया है उसके लिए इसका उपयोग किया गया था।
 6. विभिन्न न्यायालयों में कुछ मामले लम्बित पड़े हुए हैं, जिसके लिए लेखे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आकस्मिक दायित्वों में इसे नहीं दिखलाया गया है, क्योंकि इस समय इसका सही आंकलन नहीं लगाया जा सका।
 7. लेनदारों, देनदारों एवं अग्रिमों का शेष, सम्बंधित पक्षों के पुष्टिकरण पर निर्भर है एवं समाधान प्रक्रियाधीन है।

8. पिछले वर्षों में 6,49,498 लाख रुपया (विगत वर्ष 49,49,669 रुपया लाख) की राशि का अधिक प्रावधान किया गया था उसे बदलकर अब आय में दिखलाया गया है जिसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है।

	2009-10 रुपये	2008-09 रुपये
पुराना चेक	6,44,552	2,10,303
ओ एण्ड एम खर्चे	—	1,40,966
अन्य	4,946	45,98,400

9. (क) वर्ष 1996 में कम्पनी ने बन्द तुरामडीह परियोजना की सम्पत्ति को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.) को 2322 लाख रुपये में हस्तान्तरित कर दिया था। तुरामडीह खान को पुनः खोलने के लिए सी.आर.पी.एफ. से सम्पत्ति वापस ली गई है जिसके लिए सी.आर.पी.एफ. ने 3467 लाख रुपये का दावा किया है जिसमें 2500 लाख रुपया पहले ही चुकाया जा चुका है। अवशेष राशि 967 लाख रुपया के लिए लेखा में प्रावधान किया गया है।
- (ख) कम्पनी बंद तुरामडीह परियोजना की भूमि एवं अन्य सम्पत्तियों का उपयोग कर रही है जिसकी कीमत 1110.60 लाख रुपये (विगत वर्ष 1110.60 लाख) है जो भारत सरकार की है। इसके लिए लेखा में 1110.60 लाख रुपये का (विगत वर्ष 1110.60 लाख का) प्रावधान किया गया है जो भारत सरकार द्वारा बताया गया मूल्य है। कम्पनी भारत सरकार के नाम अंशपूँजी जारी करेगी जो भारत सरकार के पत्र संख्या - 20/12 (1)/95-पीएसयू/180, दिनांक 18 जून 2003 के अनुसार है।
10. कम्पनी ने गत वर्ष एवं चालू वर्ष में प्राप्त हुए 256.28 करोड़ का शेर जारी किया है भारत सरकार ने पुनः वर्ष 2009-10 के दौरान चालू परियोजनाओं के लिए 94.50 करोड़ रुपये की अंश राशि प्रदान की है। जिसे "आवंटन हेतु लम्बित शेर पूँजी" के अन्तर्गत दिखाया गया है।
11. जादुगोड़ा संसाधन संयंत्र का क्षमता विस्तारण को 01.01.2010 से चालू किया गया।
12. (क) कम्पनी ने कॅश जेनरेंटिंग यूनिट (सीजीयू) के लिए प्राप्तियोग्य मूल्य का अनुमान लगाया है जो प्रयोग विधि के मूल्य पर आधारित है। प्रत्येक प्रयोग किये सीजीयू के मूल्य को निकाला गया है जो सम्पत्ति के लिखित मूल्य से बहुत ऊँचा है। अतः इम्पायरमेंट क्षति के अनुरूप कोई प्रावधान नहीं करना है। (संदर्भ संख्या 20 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ)
- (ख) सीजीयू में जादुगोड़ा खान, नरवापहाड़ खान, भाटिन खान, तुरामडीह खान, बागजाता खान तथा बांदुहरांग खान शामिल है।
13. 01.04.2009 से ह्रास प्रभारित हेतु नीति में परिवर्तन के कारण सम्पत्ति अधिग्रहण हेतु दूसरे माह के प्रथम दिन से चालू वर्ष में व्यय में 35.10 लाख रुपये की वृद्धि हुई है। तथापि वर्ष 2008.09 के लिए इस प्रकार के परिवर्तन होने के कारण 250.32 लाख रुपये का प्रावधान लेखा खाता में किया गया है।
14. (क) 31.3.2010 को कम्पनी के स्वामित्व में रखी हुई बन्द तुरामडीह परियोजना के स्टोर्स का मूल्य 174.25 लाख रुपये (विगत वर्ष 174.40 लाख रुपये) को लेखा में नहीं लिया गया है कारण यह भारत सरकार की राशि है। भारत सरकार के निर्देश के अनुसार इस भण्डार की बिक्री की राशि को सरकारी खाते में जमा की जाएगी।
- (ख) कम्पनी ने पूर्व के वर्षों में 174.40 (विगत वर्ष 177.10 लाख) लाख रुपये के प्रारम्भिक स्टॉक से 0.15 लाख रुपये (विगत वर्ष 2.70 लाख रुपये) की सम्पत्ति उपयोग में लाई है जिसके लिए उस सीमा तक के लेखा में दायित्व का प्रावधान भारत सरकार के खाते में किया गया है।
15. 01.03.2007 के पूर्व बांदुहरांग खान में कम्पनी के ठेकेदार पर 1252.49 लाख रुपये के अर्थदंड सहित सेवा कर के दावे का अतिरिक्त भार एवं आनुषंगिक अयस्क को हटाने हेतु कस्टम एक्साइज एवं सेवा कर आदि अपीलेंट न्यायाधिकरण में विचाराधीन है। कार्य आदेश के अनुसार नया कर/ करों का वैधानिक अन्तर/ शुल्क आदि कम्पनी के द्वारा ठेकेदार को देय है। न्यायाधिकरण में विचाराधीन होने के कारण खाते में कोई प्रावधान नहीं किया गया है/ न आकस्मिक देयता में दर्शाया गया है।
16. निर्माण अवधि में आकस्मिक खर्चे :-

	2009-10 (लाख रुपये में)	2008-09 (लाख रुपये में)
(क) तुरामडीह मिल परियोजना	0.00	1235.46
(ख) बांदुहरांग खान परियोजना	0.00	(9.69)
(ग) बागजाता खान परियोजना	0.00	828.92
(घ) माहुलडीह खान परियोजना	92.36	147.78
(ङ) तुमलापल्ली परियोजना	719.22	380.63



17. आस्थगित कर दायित्व में निम्नलिखित शामिल है :	31.03.2010 को (लाख रुपये में)	31.03.2009 को (लाख रुपये में)
मूल्यहास भिन्नता		
घटाया : आस्थगित कर सम्पत्ति	8036.92	7458.88
(क) अप्रचलित भण्डार के लिए प्रावधान	61.63	52.22
(ख) वेतन की छुट्टी के लिए प्रावधान	133.77	475.68
(ग) स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति	50.84	72.35
(घ) लाम-हानि खाता में प्रभारित पूर्वदत्त व्यय	2.02	2.02
कुल (क से घ)	248.26	602.27
शुद्ध आस्थगित कर दायित्व	7788.66	6856.61
प्रारम्भिक दायित्व	6856.61	3349.42
अंतिम दायित्व	7788.66	6856.61

18. कम्पनी अधिनियम 1956 के भाग-2 अनुसूची VI के अनुच्छेद 3, 4 तथा 4 (डी) के अनुसार अतिरिक्त सूचनाएँ-

	2009-2010	2008-2009
(क) निदेशकों का पारिश्रमिक (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित)	रुपये	रुपये
1. वेतन	56,66,497	22,38,150
2. भविष्य निधि, उपदान तथा कर्मचारी कल्याण निधि में नियोक्ता का अंशदान	6,35,165	2,50,856
3. छुट्टी का नकद भुगतान एवं अन्य	7,60,117	6,12,466
योग (क)	70,61,779	31,01,472
(ख) सी.आई.एफ. के आधार पर आयात की गई सामग्रियों का मूल्य		
i) संघटक एवं कलपूर्जे	3,70,65,473	4,37,70,060
ii) पूँजीगत माल	3,82,48,480	27,38,23,876
योग (ख)	7,53,13,953	31,75,93,936
(ग) विदेशी मुद्रा में व्यय (उपार्जन के आधार पर)		
i) पुस्तकें तथा पत्रिकाएँ	86,166	75,792
ii) विदेश यात्रा	16,46,172	12,48,579
योग (ग)	17,32,338	1,32,24,371

(घ) वर्ष भर में आयातीत/स्वदेशी सामग्रियों, कलपूर्जे एवं उपभुक्त संघटकों का कुल मूल्य :-

	2009-2010	प्रतिशत	2008-2009	प्रतिशत
	रुपये		रुपये	
1. आयातीत	2,19,20,766	01.82	3,74,96,475	03.36
2. स्वदेशी	1,18,44,81,811	98.18	1,08,01,07,838	96.64
योग	1,20,64,02,577	100.00	1,11,76,04,313	100.00

19. प्रति शेयर लाभ	2009-10	2008-09
कर पश्चात् लाभ	46,25,84,199	18,00,97,969
इकाई शेयर का भारित औसत संख्या	1,13,64,028	90,03,978
जोड़ा : इकाई शेयर का संभाव्य संख्या	—	—
इकाई शेयर का तनुकृत संख्या	1,13,64,028	91,13,978
इकाई शेयर का अंकित मूल्य (रुपया में)	1,000	1000
प्रति शेयर प्रारम्भिक आय - बेसिक (रुपया में)	40.71	20.00
प्रति शेयर तनुकृत आय - डायल्यूटेड (रुपया में)	40.71	19.76

20. माइक्रो, स्माल एवं मिडियम डेवलपमेंट अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत 31.03.2010 के अनुसार निम्नलिखित व्यवसायियों के पास प्रत्येक मामले में कुछ रुपये व्याज सहित 30 दिनों से अधिक बकाया रहा :

विवरण	चालू वर्ष 2009-10	विगत वर्ष 2008-09
31 मार्च को बकाया मूल राशि	60,91,624	28,61,739
31 मार्च को उस पर देय और अदेय राशि	3,41,432	1,75,912
आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया गया व्याज	1,75,912	—
वर्ष के दौरान आपूर्तिकर्ता को निधिरित तिथि के बाद किया गया भुगतान	1,75,24,952	16,63,217
विलम्ब अवधि के लिए भुगतान किया गया व्याज	3,41,432	1,75,912
31 मार्च को उपस्थित व्याज एवं शेष अदत्त राशि	3,41,432	1,75,912
अतिरिक्त व्याज की बकाया देय राशि एवं अनुवर्ती वर्ष में भुगतान की जाने वाली राशि	3,41,432	1,75,912



21. सम्बंधित पक्षों का विवरण

विवरण	मुख्य प्रबंधक कार्मिक	कुल पारिश्रमिक (रु.)	
		2009-10	2008-09
प्राप्त की जा रही सेवायें	1. श्री आर. गुप्ता (सी.एम.डी)	29,85,088	12,08,461
	2. श्री डी. आचार्या डी. (टी.)	22,92,399	8,98,621
	3. श्री आर. पी. गुप्ता डी. (एफ.)	17,84,372	9,16,866

22. आंकड़ों में 50 पैसे से अधिक को रुपये में ले लिया गया है। गत वर्ष के आंकड़ों को जहाँ कहीं भी जरूरी समझा गया उसे चालू वर्ष में तुलनात्मक दृष्टि से पुनः समूह में व्यवस्थित/वर्गीकृत किया गया है।

यह हमारे संलग्नक सम दिनांक के प्रतिवेदन के अनुसार हस्ताक्षरित है

अनुसूची '1' से '15' के हस्ताक्षरी

कृते एस. गागुली एण्ड एसोसिएट
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. सं. 302192ई

कृते बोर्ड की ओर से

डी. पी. साहा
भागीदार
सदस्यता संख्या : 003935

पी. वी. दुबे
कम्पनी सचिव

आर. पी. गुप्ता
निदेशक (वित्त)

डी. आचार्या
निदेशक (तकनीकी)

आर. गुप्ता
अध्यक्ष एवं
प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 जून 2010

31.03.2010 को समाप्त वर्ष का कैश फ्लो विवरण

		(लाख रुपयों में)	
		2009-10	2008-09
(क)	परिचालन की क्रियाओं से कैश फ्लो		
	कर के पूर्व शुद्ध लाभ	7,784.78	6,004.40
	समायोजन के लिए		
	मूल्यह्रास	6,928.68	2,979.91
	ऋण एवं पेशगी पर ब्याज	(84.64)	(77.91)
	बैंक जमा पर ब्याज	(2,006.97)	(1,749.79)
	स्थिर परिसम्पत्तियों के बिक्री पर (लाभ)/हानि	—	(39.30)
	कार्यकारी पूँजी को संसोधित करने के पूर्व परिचालन लाभ	12,621.85	7,117.31
	समायोजन के लिए		
	(क) देनदारों में (वृद्धि)/ह्रास	1,037.54	(2,425.10)
	(ख) मालसूची में (वृद्धि)/ह्रास	624.42	(2,959.34)
	(ग) ऋण एवं पेशगियों में (वृद्धि)/ह्रास	(315.83)	(1,412.84)
	(घ) उपार्जित ब्याज में (वृद्धि) ह्रास	(186.54)	(54.91)
	(ङ) चालू दायित्व में (वृद्धि)/ह्रास	2,428.39	17,896.72
	परिचालन की क्रियाओं में नकद उपार्जन	16,209.83	18,161.84
	प्रत्यक्ष कर	(1,966.43)	(700.16)
	परिचालन की क्रियाओं से शुद्ध कैश फ्लो	14,243.40	17,461.68
(ख)	निवेश की क्रियाओं से कैश फ्लो		
	(क) निश्चित परिसम्पत्तियों की खरीद	(6,048.32)	(49,925.07)
	(ख) डब्ल्यू आई पी के पूँजी में (वृद्धि)/ह्रास	(37,923.84)	17,372.49
	(ग) बैंक जमा पर ब्याज	2,006.97	1,749.79
	(घ) ऋण एवं पेशगियों पर ब्याज	84.64	77.91
	(ङ) स्थिर परिसम्पत्तियों के बिक्री से प्राप्तियाँ	—	39.30
	निवेश की क्रियाओं से शुद्ध कैश फ्लो	(41,880.55)	(30,685.58)
(ग)	वित्तीय क्रियाओं से कैश फ्लो		
	इविटी शेयर पूँजी जारी करने से प्राप्त राशि	27,028.00	23,600.00
	लाभांश चुकाया	(470.00)	(370.00)
	वित्तीय क्रियाओं में शुद्ध नकदी का उपयोग	26,558.00	23,230.00
(घ)	नकद तथा नकदी के सामान में शुद्ध वृद्धि (क+ख+ग)	(1,079.15)	10,006.10
	वर्ष के प्रारम्भ में नकदी एवं नकदी के सामान	26,456.80	16,450.70
	वर्ष के अन्त में नकदी एवं नकदी के सामान	25,377.65	26,456.80
(ङ)	नकद एवं नकदी के सामान में शुद्ध वृद्धि	(1,079.15)	10,006.10

यह हमारे संलग्नक सम दिनांक के प्रतिवेदन के अनुसार हस्ताक्षरित है

कृते एस. गांगुली एण्ड एसोसिएट
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. सं. 302192ई

कृते एवं बोर्ड की तरफ से

डी. पी. साहा
भागीदारी
सदस्यता संख्या : 003935

पी. वी. दुबे
कम्पनी सचिव

आर. पी. गुप्ता
निदेशक (तकनीकी)

डी. आचार्या
निदेशक (तकनीकी)

आर. गुप्ता
अध्यक्ष एवं
प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 जून 2010



(कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IV अनुसूची VI के अनुसार सूचनाएँ I)
तुलन पत्र सारांश एवं कम्पनी के सामान्य व्यापार की रुपरेखा

(i)	पंजीकरण विवरण:		
	पंजीकरण संख्या	: 000806	स्टेट कोड: 03
	तुलन पत्र की तिथि	: 31 मार्च, 2010	
(ii)	वर्ष के दौरान पूँजी में वृद्धि (राशि, हजार रुपयों में)		
	सार्वजनिक निर्गम शून्य	राइट इश्यू शून्य	सरकारी निर्गम 25,62,800
	बोनस निर्गम शून्य	निजी स्थापना शून्य	
(iii)	निधि के संचारण एवं विस्तार की स्थिति (राशि हजार रुपये में)		
	कुल देयताएँ 1,99,60,337	कुल परिसम्पत्तियाँ 1,99,60,337	
	निधि के स्रोत		
	प्रदत्त पूँजी 1,34,79,278	आरक्षित एवं अधिशेष 16,95,743	
	प्रतिभूत ऋण शून्य	अप्रतिभूत शून्य	
	आस्थगित कर दायित्व 7,78,866		
	निधि का विनियोग		
	शुद्ध स्थाई परिसम्पत्तियाँ (सी.डब्ल्यू.आई.पी.सहित) 1,56,91,904	निवेश शून्य	
	शुद्ध चालू परिसम्पत्तियाँ 2,61,983	विविध व्यय शून्य	
	संचित हानियाँ शून्य		
(iv)	कम्पनी का प्रदर्शन (राशि हजार रुपये में)		
	कुल व्यवसाय (राजस्व) 54,30,555	कुल व्यय 46,52,077	
	कर पूर्व लाभ/हानि (+) 7,78,478	कर पश्चात् लाभ/हानि (+) 4,62,584	
	प्रतिशेयर अर्जन रुपयों में 40.71	लाभांश दर : 0.93	
(v)	मुख्य उत्पाद का सामान्य नाम/कम्पनी की सेवाएँ (वित्तीय शर्तों के अनुसार) वर्गीकृत विवरण		

कृते एस. गांगुली एण्ड एसोसिएट
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. सं. 302192ई

कृते एवं बोर्ड की तरफ से

डी. पी. साहा
भागीदारी
सदस्यता संख्या : 003935

पी. वी. दुबे
कम्पनी सचिव

आर. पी. गुप्ता
निदेशक (तकनीकी)

डी. आचार्य
निदेशक (तकनीकी)

आर. गुप्ता
अध्यक्ष एवं
प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 जून 2010

पच्चीस वर्षीय स्थिति का सार-संग्रह

वर्ष	आय	सामग्रियाँ	वेतन/मजदूरी तथा अन्य सुविधाएँ	मूल्यहास (नगद क्षेत्र पर हास को छोड़कर)	व्याज	उत्पादन एवं अन्य व्यय	कर पूर्व लाभ/हानि
1984-85	1487.2	272.4	449.1	83.6	9.3	573.9	108.6
1985-86	1695.6	354.4	488.5	83.9	—	635.2	123.5
1986-87	2047.2	412.3	572.4	126.4	6.3	645.4	214.4
1987-88	2813.8	347.7	664.3	171.6	12.8	839.9	751.5
1988-89	3358.2	449.9	750.2	174.6	4.2	1104.8	892.3
1989-90	3882.2	465.9	1026.4	157.7	0.4	1142.5	1092.4
1990-91	3080.6	398.0	938.5	197.9	—	1237.2	323.5
1991-92	3929.3	518.8	1167.1	214.4	—	1455.0	571.8
1992-93	4249.2	659.3	1369.8	217.9	2.1	1624.1	376.5
1993-94	4775.7	788.3	1415.5	291.7	0.7	1970.5	309.0
1994-95	5730.1	1082.3	1530.6	353.4	18.6	2396.1	349.1
1995-96	7149.8	1064.5	2569.6	1286.7	10.2	2187.7	31.1
1996-97	8601.0	1037.0	3141.5	1404.8	0.1	3693.6	(-) 676.0
1997-98	11140.5	1107.0	3429.6	1067.3	—	5019.9	516.7
1998-99	13417.5	1252.7	4255.9	1236.4	—	6495.0	177.5
1999-00	14533.0	1461.9	4522.2	1685.2	—	5361.4	1307.9
2000-01	14797.0	1612.7	4768.8	1842.9	—	6167.4	405.2
2001-02	16597.1	1746.8	5524.9	2054.1	—	6399.3	872.0
2002-03	19357.1	1740.5	5274.5	2069.9	—	7500.0	2772.4
2003-04	21396.9	2248.4	5596.8	2236.3	—	9389.7	1925.7
2004-05	25497.0	2590.01	5945.24	2443.43	—	9896.72	4621.6
2005-06	28156	3121	7309	2468	—	10332	4926
2006-07	29781	4138	8817	2592	—	9856	4378
2007-08	30436	4786	9929	2518	—	11061	2142
2008-09	41462	6143	12728	2755	—	13832	6004
2009-10	54306	7494	14539	6661	—	17827	7785



(रूपये लाख में)

कर पश्चात लाभ	पूँजी	ऋण	आरक्षित तथा अधिशेष	सकल निरुद्ध पूँजी	कुल मूल्य ह्रास	शुद्ध निरुद्ध पूँजी	31 मार्च को कर्मचारियों की संख्या
40.7	1695.7	79.0	321.2	1864.2	1173.9	691.2	2799
72.5	1714.3	79.0	403.9	2250.9	1283.4	967.5	2905
159.4	2239.3	193.0	633.2	2726.3	1444.8	1281.5	3115
471.5	2439.2	94.0	1104.2	3030.3	1661.3	1369.9	3180
552.3	2575.3	—	1557.2	3300.3	1841.8	1458.5	3392
657.4	5589.3	—	2314.8	3701.3	2035.2	1666.1	3477
143.5	6989.3	—	2458.3	4029.4	2289.8	1739.6	3629
245.8	12417.2	—	2654.4	4933.5	2590.3	2343.2	3748
146.2	17017.3	—	2802.0	5262.4	2824.3	2438.1	3898
104.4	22517.3	—	2906.5	9085.1	3574.4	5510.7	3904
801.9	30517.3	—	3708.4	11277.1	4396.1	6888.0	4024
78.6	5422.3	—	3787.1	18558.6	5813.8	12744.8	4171
(-) 854.0	36922.3	—	1326.6	19008.1	7203.8	11804.2	4249
251.4	37075.3	—	1523.0	25203.8	8644.3	16559.5	4312
367.1	41982.3	—	1808.0	34057.7	10039.8	24018.0	4385
1151.1	41982.3	—	2666.4	36438.7	11894.8	24543.9	4408
303.7	41982.3	—	2902.3	38041.5	13915.3	24126.3	4420
588.2	38339.3	64.4	4971.5	38510.6	16076.3	22434.3	4218
480.84	41839.3	—	4398.8	43443.2	18062.2	25381.0	4147
978.7	49839.3	—	4981.8	48591.2	20109.6	28481.6	4064
2925.1	63389.3	—	7222.8	52746.6	22813.5	29933.1	4034
3161	69094	—	9472	57074	25509	31566	4103
2751	71265	—	11403	61942	28192	33750	4276
1463	84165	—	12433	67254	31012	36242	4439
1801	107765	—	13684	117101	33914	83187	4643
4626	134793	—	16957	123150	40842	82308	4539



तुमलापल्ली प्रोजेक्ट